No: Q/EF-Canteen/551/06/2022
Government of India
Ministry of External Affairs
(Establishment Division)
EF-Canteen Section

BID No. GEM/2022/B/2389408 **Dated: 29th July, 2022**

Section – 1

Introduction to the project/services being proposed for the procurement using bid functionality

INTRODUCTION TO THE SERVICES REQUIRED:

1. There is need of Canteen and Pantry Services for Ministry of External Affairs (MEA). Various Divisions and Offices of MEA span over various premises which are Jawaharlal Nehru Bhawan (JNB), South Block, Akbar Bhawam, Patiala House and Shastri Bhawan.

2. This is the NIT pertaining to **"Canteen Services for JNB and South Block and Pantry Services for Akbar Bhawan and Shastri Bhawan"**.

3. Details regarding various Terms and Conditions, Scope of Work, Service Level Agreement, Various documents required etc. are mentioned in this Tender Document.

4. Interested bidders may submit their bids in the format as mentioned in this NIT.

*****

सं.: क्यू/ईएफ-कैंटीन/551/06/2022
भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
(स्थापना प्रभाग)
ईएफ-कैंटीन अनुभाग

बोली संख्या: जीईएम/2022/बी/2389408 **दिनांक: 29 जुलाई, 2022**

खंड-1

बिड फंक्शनेलटी का उपयोग करके खरीद के लिए प्रस्तावित परियोजना/सेवाओं के संबंध में परिचय

आवश्यक सेवाओं का परिचय:

1. विदेश मंत्रालय के लिए कैंटीन और पेंट्री सेवाओं की आवश्यकता है। विदेश मंत्रालय के विभिन्न प्रभाग और कार्यालय विभिन्न परिसरों में फैले हुए हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू भवन (जेएनबी), साउथ ब्लॉक, अकबर भवन , पटियाला हाउस और शास्त्री भवन।

2. यह **"जेएनबी और साउथ ब्लॉक के लिए कैंटीन सेवाएं तथा अकबर भवन और शास्त्री भवन के लिए पेंट्री सेवाएं" से संबंधित एनआईटी है। ”** ।

3. इस निविदा दस्तावेज़ में विभिन्न निबंधन और शर्तों, कार्य के दायरे, सेवा स्तर संबंधी समझौते, आवश्यक विभिन्न दस्तावेज़ो आदि के संबंध में विवरण का उल्लेख किया गया है।

4. इच्छुक बोलीदाता इस एनआईटी में उल्लिखित प्रारूप में अपनी बोलियां जमा कर सकते हैं।

*****

No: Q/EF-Canteen/551/06/2022
Government of India
Ministry of External Affairs
(Establishment Division)
EF-Canteen Section

BID No. GEM/2022/B/ 2389408 **Dated: 29th July, 2022**

Section – 2

Instructions to Bidders

1. INSTRUCTION TO BIDDERS:

i. Compliance of all relevant laws & regulations, as revised from time to time by the government, shall be the responsibility of the contractor. The contractor will be fully responsible for any compensation etc. in case of any injury/casualty or mishap to any employees of the canteen during canteen working hours.

ii. Food license for Catering/Canteen services, issued by appropriate authority of Delhi/other State, i.e. License under FSS Act, 2006.

iii. The bidder should be prepared to come to MEA, to take part in discussion, if required at a short notice.

iv. If the agency fails to carry out the jobs as per the terms and conditions agreed upon, it will be liable for forfeiture of Performance Security Deposit.

v. The workers employed by the agency **must wear uniform and name badge** which is provided by the agency and the agency will be responsible for the discipline of his workers. The workers shall have to follow the security regulations as directed by security and administration of the MEA. Workers will not form union or carry out trade union activities in the campus.

vi. **The Agency shall ensure the police verification of all the persons before deploying them at the allotted premises**.

vii. No accommodation will be provided in the campus for the workers. The agency will make its own arrangement.

viii. The agency shall have to arrange for all cooking equipment, utensils, crockery, table linen, flower and other necessary equipment etc. on his own for smooth running of the canteen/pantry.

ix. The agency should have sufficient equipment, crockery and manpower to cater to at least 200-300 persons at a given time. The contractor will provide table cloth/table linen of standard quality and flower in case of Sit Down Lunch/Dinner at his own cost. The contractor shall replace table cloth/table linen/flower every day.

x. Sub-letting/Sub contracting the work is not permissible under any circumstances.

2. STATUTORY OBLIGATIONS OF THE BIDDER (CONTRACTOR):

i. The Bidder/Contractor shall be responsible for engaging adequate number of properly trained manpower required for providing good canteen/pantry services in MEA premises.

ii. The employees of the Bidder/Contractor should possess good health and free from any diseases, especially contagious and frequently recurring diseases.

iii. The Bidder/Contractor will, prior to the commencement of the operation of contract, make available to MEA the particulars of all the employees who will be deployed at the MEA's premises for running the Canteen. Such particulars, inter alia, should include age/date of birth, permanent address, police verification report and profile of the health status of the employees.

iv. The Bidder/Contractor shall be responsible for timely payment of wages to his/her workers as per Minimum Wages Act of NCT of Delhi Government.

v. The Bidder/Contractor shall fulfill all other statutory obligations, such as, Provident Fund, ESI, GST etc. in force from time to time, as applicable.

vi. The Bidder/Contractor shall ensure proper discipline among his/her workers and further ensure that they do not indulge in any unlawful activity.

vii. Employment of child labour is strictly prohibited under the law. Therefore, the Bidder/Contractor will not deploy any persons below the age of 18 years.

viii. In the event of violation of any contractual or statutory obligations by the Bidder/Contractor, he/she will be responsible and liable for the same. Further, in the event of any action, claim, damages, suit initiated against the MEA by any individual, agency or government authority due to acts of the Bidder/Contractor, the Bidder/Contractor will be liable to make good/compensate such claims or damages to the MEA. As a result of the acts of the Bidder/Contractor, if the MEA is required to pay any damages to any individual, agency or government authority, the Bidder/Contractor would be required to reimburse such amount to the MEA or the MEA reserves the right to recover such amount from the payment(s) due to the Bidder/Contractor while settling his/her bills or from the amount of Security Deposit of the Bidder/Contractor lying with the MEA.

ix. The Bidder/Contractor shall ensure compliance of all laws relating to cleanliness, sanitary, hygienic and health conditions and other laws in force from time to time with regard to the environment around cooking place, dining hall and surrounding etc.

x. The Bidder/Contractor shall at all times keep indemnified the Ministry of External Affairs and its officers and designated concerned staff for and against all third party claims whatsoever (including property loss and damage, personal accident, injury or death of any person) and/or the owner and the Contractor shall at his/her own cost and initiative at all times, maintain all liabilities under Workman's Compensation Act / Fatal Accident Act, Personal Injuries, Employees State Insurance Act, PF Act, etc. in force from time to time.

xi. All employees engaged by the agency shall be comprehensively insured for accidents and injuries by the agency at his cost.

xii. **The verification of the antecedents of the staff will be responsibility of the Bidder/Contractor. The Bidder/Contractor will provide sufficient sets of Uniforms and pair of shoes to his employees and will ensure that they wear them at all times during the course of their duties and maintain them properly.**

xiii. The Bidder/Contractor will be personally responsible for the conduct and behavior of his staff and any loss or damage to MEA's movable or immovable property due to the conduct of the Bidder/Contractor's staff shall be made good by the Bidder/Contractor If it is found that the conduct or efficiency of any person employed by the Bidder/Contractor is unsatisfactory, the Bidder/Contractor shall

have to remove the concerned person and engage a new person within 48 hours of intimation by MEA. The decision of the MEA's designated officer in this regard shall be final and binding on the Bidder/Contractor.

xiv. The Bidder/Contractor shall not appoint any sub-contractor to carry out his obligations under the contract. Subcontracting will lead to immediate termination of contract.

xv. The Bidder/Contractor shall keep the Canteen and its surrounding areas clean and up to date sanitation every day after the services are over. The cleaning includes cleaning of utensils, kitchen, canteen and mess hall, floor, counter, benches, tables, chairs, etc. MEA management will have 24-hour access to inspect the canteen premises at any time for ensuring the cleanliness and hygienic conditions of the canteen's kitchen and dining hall premises.

xvi. The MEA reserves the right to appoint officers/officials to inspect the quality of raw material, food and other items prepared and sold in the canteen. Any defect(s) pointed out by such officers/officials during their visits shall be properly attended to by the Bidder/Contractor.

xvii. The Bidder/Contractor shall get the prices of all items approved by the MEA and no changes, whatsoever shall be made without prior written approval of the MEA.

xviii. **The canteen staff shall be issued identity Cards bearing photographs by MEA on regular basis as per the rules in force. However, verification of the antecedents of the staff will be responsibility of the Bidder/Contractor.**

3. OTHERS

i. While all efforts have been made to avoid errors in the drafting of the tender documents, the Bidder is advised to check the same carefully. No claim on account of any errors detected in the tender documents shall be entertained.

ii. For the Bidding / Tender Document Purposes, the Ministry of External Affairs shall be referred to as 'Ministry' and the Bidder/Successful Bidder shall be referred to 'Contractor and / or Bidder or Service Provider' interchangeably in this tender document.

iii. The parties to the Contract/Agreement shall be the successful bidder (to whom the work has been awarded) and the Ministry of External Affairs, New Delhi.

iv. The bidder shall upload the copy of the authorization letter / Power of Attorney as the proof of authorization for signing on behalf of the Bidder.

v. For all purposes of the contract including arbitration there under, the address of the bidder mentioned in the bid shall be final unless the bidder notifies any change of address by a separate letter sent by registered post with acknowledgment due to the Ministry of External Affairs. The bidder shall be solely responsible for the consequences of any omission or error to notify any change of address in the aforesaid manner.

vi. In no circumstances, the firm shall appoint any sub-contractor or sub-lease the contract. If it is found that the contractor has violated these conditions, the order shall be terminated forthwith without any notice and Performance Security Deposit shall be forfeited.

vii. The bidders shall be bound by the details furnished to Ministry, while submitting the tender or at any subsequent stage. In case any such documents furnished by him/her are found to be false at any stage, it would be deemed to be a breach of

terms of contract making him/her liable for legal action besides termination of contract.

4. CONTRACT AGREEMENT:

The successful bidder will have to enter into a contract agreement before taking charge of Canteen/Pantry in MEA, as per Services Level Agreement (SLA in Section - 6), subject to minor amendment (if any) before signing.

5. TENDER FEE, BID SECURITY DECLARATION (BID) & PERFORMANCE SECURITY DEPOSIT (PSD):

i. **Tender Fee:** No cost of tender documents will be charged for the tender documents downloaded by bidders.

ii. BID SECURITY DECLARATION (BSD)

The Vendor will submit Bid Security Declaration Undertaking in the prescribed format as per Form along with the Technical Bid.

The submission of Bid Security Declaration is compulsory for all the Bidders except those who are registered with the Micro and Small Enterprises (MSEs) as defined in MSE Procurement Policy issued by Department of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) or are registered with the Central Purchase Organization.

iii. **PERFORMANCE SECURITY DEPOSIT (PSD):**

a) The successful bidder has to deposit Performance Security Deposit @ “3% of the contract value” in favor of “Pay & Accounts Officer, Ministry of External Affairs, New Delhi” payable at New Delhi in the form of Bank Guarantee/Demand Draft/Fixed Deposit Receipt(in original), at the time of the acceptance of the LoA. Performance Security should remain valid for a period of Sixty (60) days beyond the date of completion of all contractual obligations of the service provider. In case, the contract is further extended beyond the initial period, the PSD will have to be accordingly renewed by the successful bidder. No interest shall be paid on PSD.

b) The Performance Security will be forfeited by order of the Competent Authority in the Ministry in the event of any breach or negligence or non-observance of any terms & conditions of the contract or for unsatisfactory performance or for non-acceptance of the work order. On expiry of the contract, portion of the said PSD as may be considered by the Ministry sufficient to cover any incorrect or excess payments made on the bills to the firm, shall be retained until the final audit report on the account of Companies bill has been received and examined.

c) If the Contractor fails to provide the Performance Security Deposit (PSD) at the time of the acceptance of LoA, such failure shall constitute a breach of the contract and the Ministry shall be entitled to make other arrangements at the risk, cost and expense of the Contractor.

d) On due performance and completion of the contract in all respects, the PSD will be returned to the contractor without any interest on presentation of an absolute "No Demand Certificate" from the contractor and upon return in good condition of any specifications, samples or other property belonging to the Ministry, which may have been issued to the Contractor, for carrying out work stipulated in the contract.

e) If the contract is terminated by the contractor without giving stipulated period of notice or fails to observe the terms & conditions of the Tender, Letter of Award of Contract and the Agreement, the Security deposit will be forfeited.

6. **FINANCIAL BID**

Bidders are required to note that they should necessarily submit their financial bids in the format provided (.pdf) and no other format is acceptable.

*****

सं.: क्यू/ईएफ-कैंटीन/551/06/2022
भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
(स्थापना प्रभाग)
ईएफ-कैंटीन अनुभाग

बोली संख्या: जीईएम/2022/बी/2389408 **दिनांक: 29 जुलाई, 2022**

खंड-2

बोलीदाताओं को निर्देश

1. बोलीदाताओं को निर्देश:

i. सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित सभी संगत कानूनों और विनियमों का अनुपालन, संविदाकार का दायित्व होगा। कैंटीन के काम के घंटों के दौरान कैंटीन के किसी भी कर्मचारी को किसी भी तरह की चोट / हादसे या दुर्घटना के मामले में किसी भी क्षतिपूर्ति आदि के लिए संविदाकार पूरी तरह से उत्तरदायी होगा।

ii. दिल्ली/अन्य राज्य के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा खानपान/कैंटीन सेवाओं के लिए जारी खाद्य लाइसेंस, अर्थात एफएसएस अधिनियम, 2006 के तहत लाइसेंस।

iii. यदि आवश्यक हो तो अल्प सूचना के आधार पर भी बोलीदाता को चर्चा में भाग लेने के लिए विदेश मंत्रालय आने के लिए तैयार रहना चाहिए।

iv. यदि एजेंसी सहमत निबंधन और शर्तों के अनुसार कार्य करने में विफल रहती है, तो उसकी कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

v. एजेंसी द्वारा नियोजित श्रमिकों **को वर्दी और नाम का बैज पहनना चाहिए** जो एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा तथा एजेंसी अपने कर्मचारियों के अनुशासन के लिए उत्तरदायी होगी। श्रमिकों को विदेश मंत्रालय की सुरक्षा और प्रशासन द्वारा निर्देशित सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। श्रमिकों द्वारा संघ का गठन नहीं किया जाएगा या परिसर में श्रमिक संघ संबंधी गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया जाएगा।

vi. **एजेंसी सभी व्यक्तियों को आवंटित परिसर में तैनात करने से पहले उनका पुलिस सत्यापन सुनिश्चित करेगी** ।

vii. श्रमिकों के लिए परिसर में कोई आवास उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। एजेंसी खुद इसकी व्यवस्था करेगी।

viii. एजेंसी को कैंटीन/पेंट्री के सुचारू संचालन के लिए खाना पकाने के सभी उपकरण, बर्तन, क्रॉकरी, टेबल लिनन, फूल और अन्य आवश्यक उपकरण आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

ix. एक निश्चित समय में कम से कम 200-300 व्यक्तियों के खान पान की व्यवस्था हेतु एजेंसी के पास पर्याप्त उपकरण, क्रॉकरी और जनशक्ति होनी चाहिए। सिट डाउन लंच/डिनर के मामले में संविदाकार को मानक गुणवत्ता का टेबल क्लॉथ/टेबल लिनन और फूल स्वयं उपलब्ध कराना होगा। संविदाकार द्वारा प्रतिदिन टेबल क्लॉथ/टेबल लिनन/फूल बदले जाएंगे।

x. किसी भी परिस्थिति में कार्य की सब-लेटिंग /सब कॉन्ट्रेक्टिंग की अनुमति नहीं होगी।

2. **बोलीदाता (संविदाकार) के वैधानिक दायित्व:**

i. बोलीदाता/संविदाकार विदेश मंत्रालय के परिसरों में अच्छी कैंटीन/पेंट्री सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षित जनशक्ति को पर्याप्त संख्या में नियुक्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

ii. बोलीदाता/संविदाकार के कर्मचारियों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उन्हें किसी भी रोग, विशेष रूप से संक्रामक और बार-बार होने वाले रोगों से मुक्त होना चाहिए।

iii. बोलीदाता/संविदाकार, संविदा के संचालन के आरंभ से पूर्व, विदेश मंत्रालय को उन सभी कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध कराएंगे, जिन्हें कैंटीन के संचालन हेतु विदेश मंत्रालय के परिसर में तैनात किया जाएगा। ऐसे विवरणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आयु/जन्म तिथि, स्थायी पता, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट और कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी स्थिति की रूपरेखा शामिल होनी चाहिए ।

iv. बोलीदाता/संविदाकार दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार अपने श्रमिकों को समय पर मजदूरी के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

v. बोलीदाता/ संविदाकार समय-समय पर लागू होने वाले अन्य सभी वैधानिक दायित्वों, जैसे भविष्य निधि, ईएसआई, जीएसटी आदि को पूरा करेगा।

vi. बोलीदाता/ संविदाकार अपने कर्मचारियों के बीच उचित अनुशासन सुनिश्चित करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि वे किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं हैं।

vii. कानून के तहत बाल श्रम को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। अत: बोलीदाता/ संविदाकार द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को तैनात नहीं किया जाएगा।

viii. बोलीदाता/ संविदाकार द्वारा किसी भी संविदात्मक या वैधानिक दायित्वों के उल्लंघन की स्थिति में, वह इसके लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, बोलीदाता/संविदाकार के कृत्यों के कारण किसी व्यक्ति, एजेंसी अथवा सरकारी प्राधिकारी द्वारा विदेश मंत्रालय के विरुद्ध आरंभ की गई किसी कार्रवाई, दावे, नुकसान, मुकदमे की स्थिति में, बोलीदाता/संविदाकार ऐसे दावों की भरपाई/क्षतिपूर्ति विदेश मंत्रालय को करने के लिए उत्तरदायी होगा। बोलीदाता/संविदाकार के कृत्यों के परिणामस्वरूप, यदि विदेश मंत्रालय को किसी व्यक्ति, एजेंसी या सरकारी प्राधिकारी को किसी नुकसान का भुगतान करना पड़ता है, तो विदेश मंत्रालय को ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति बोलीदाता/संविदाकार द्वारा की जानी अपेक्षित होगी या विदेश मंत्रालय के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि बोलीदाता/संविदाकार के बिलों का निपटान करते समय बोलीदाता/संविदाकार को देय भुगतान में से या विदेश मंत्रालय के पास रखी बोलीदाता/संविदाकार की प्रतिभूति जमा राशि में से इस राशि की वसूली कर ली जाए।

ix. बोलीदाता/संविदाकार स्वच्छता,साफ-सफाई, हाइजीन और स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों से संबंधित सभी कानूनों तथा खाना पकाने के स्थान, डाइनिंग हॉल और आसपास के वातावरण आदि के संबंध में समय-समय पर लागू अन्य कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

x. बोलीदाता/संविदाकार हर समय विदेश मंत्रालय और उसके अधिकारियों और नामित संबंधित कर्मचारियों को, तीसरे पक्ष के सभी दावों (संपत्ति की हानि और क्षति, व्यक्तिगत दुर्घटना, चोट या किसी व्यक्ति की मृत्यु सहित) के लिए तथा उनके विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्रदान करता रहेगा तथा/अथवा स्वामी और संविदाकार हर समय अपनी लागत और पहल पर, समय-समय पर लागू कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम / घातक दुर्घटना अधिनियम, व्यक्तिगत चोट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, पीएफ अधिनियम, आदि के तहत सभी देनदारियों को बनाए रखेंगे।

xi. एजेंसी द्वारा लगाए गए सभी कर्मचारियों का एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर दुर्घटनाओं और चोटों के लिए व्यापक रूप से बीमा किया जाएगा।

xii. कर्मचारियों के पूर्ववृत्त के सत्यापन की जिम्मेदारी बोलीदाता/संविदाकार की होगी। बोलीदाता/संविदाकार अपने कर्मचारियों को वर्दी के पर्याप्त सेट और जूतों के जोड़े प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे अपने कार्य के दौरान हर समय उन्हें पहनें और उनका रख-रखाव ठीक से करें।

xiii. बोलीदाता/संविदाकार कर्मचारियों के आचरण और व्यवहार के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा और कर्मचारियों के आचरण के कारण विदेश मंत्रालय की चल या अचल संपत्ति को हुए किसी नुकसान या क्षति को बोलीदाता/संविदाकार द्वारा ठीक किया जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि

बोलीदाता/संविदाकार द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति का आचरण या दक्षता असंतोषजनक है, तो विदेश मंत्रालय द्वारा सूचित किए जाने के 48 घंटों के भीतर बोलीदाता/संविदाकार को संबंधित व्यक्ति को हटाना होगा और एक नए व्यक्ति को नियुक्त करना होगा। इस संबंध में विदेश मंत्रालय के नामित अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और बोलीदाता/संविदाकार के लिए बाध्यकारी होगा।

xiv. बोलीदाता/संविदाकार अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी उप-संविदाकार को नियुक्त नहीं करेगा। उपसंविदा की स्थिति में संविदा तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

xv. प्रत्येक दिन सेवा समाप्त होने के बाद बोलीदाता/संविदाकार कैंटीन और उसके आसपास के क्षेत्रों को साफ और स्वच्छ रखेंगे। साफ-सफाई में बर्तन, रसोई, कैंटीन और मेस हॉल, फर्श, काउंटर, बेंच, मेज, कुर्सियों आदि की सफाई शामिल है। विदेश मंत्रालय 24 घंटों में से किसी भी समय कैंटीन परिसर का निरीक्षण कर सकता है ताकि कैंटीन की किचन और डाइनिंग हॉल परिसर की स्वच्छता और साफ-सफाई की स्थिति सुनिश्चित की जा सके।

xvi. विदेश मंत्रालय के पास कैंटीन में तैयार और बेचे जाने वाले कच्चे माल, भोजन और अन्य वस्तुओं की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने दौरों के दौरान इंगित की गई किसी भी कमी को बोलीदाता/संविदाकार द्वारा उचित रूप से दूर किया जाएगा।

xvii. बोलीदाता/संविदाकार को विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित सभी मदों के मूल्य प्राप्त होंगे और विदेश मंत्रालय की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

xviii. कैंटीन के कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार नियमित आधार पर विदेश मंत्रालय द्वारा फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। तथापि, कर्मचारियों के पूर्ववृत्त के सत्यापन की जिम्मेदारी बोलीदाता/संविदाकार की होगी।

3. अन्य

i. जबकि निविदा दस्तावेजों के प्रारूपण में त्रुटियों से बचने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे इसे ध्यान से देख ले। निविदा दस्तावेजों में पाई गई किसी भी त्रुटि के कारण किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

ii. बोली/निविदा दस्तावेज के प्रयोजनों के लिए, विदेश मंत्रालय को 'मंत्रालय' के रूप में संदर्भित किया जाएगा और बोलीदाता/सफल बोलीदाता को इस निविदा दस्तावेज में विनिमेयता के अनुसार 'संविदाकार और/या बोलीदाता अथवा सेवा प्रदाता' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

iii. अनुबंध/करार के तहत पक्षकार, सफल बोलीदाता (जिन्हें कार्य सौंपा गया है) और विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली होंगे।

iv. बोलीदाता की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार के प्रमाण के रूप में प्राधिकार पत्र / पावर ऑफ एटॉर्नी की प्रति बोलीदाता द्वारा अपलोड की जाएगी।

v. अनुबंध के सभी उद्देश्यों के लिए, जिसमें मध्यस्थता भी शामिल है, बोली में उल्लिखित बोलीदाता का पता अंतिम होगा, जब तक कि बोलीदाता विदेश मंत्रालय को देय पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए एक अलग पत्र द्वारा पते में किसी भी बदलाव की सूचना नहीं देता है। उपरोक्त तरीके से पते के किसी भी परिवर्तन को सूचित करने के संबंध में किसी भी चूक या त्रुटि के परिणामों के लिए बोलीदाता पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

vi. फर्म किसी भी परिस्थिति में किसी भी उप-संविदाकार को नियुक्त नहीं करेगी या अनुबंध को उप-पट्टे पर नहीं देगी। यदि यह पाया जाता है कि संविदाकार ने इन शर्तों का उल्लंघन किया है, तो बिना किसी नोटिस के आदेश को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा और कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

vii. बोलीदाता निविदा प्रस्तुत करते समय या बाद के किसी भी चरण में मंत्रालय को दिए गए विवरण से बाध्य होंगे। यदि उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज़ किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो इसे अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप वह अनुबंध की समाप्ति के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

4. अनुबंध संबंधी समझौता:

सफल बोलीदाता को हस्ताक्षर करने से पूर्व, मामूली संशोधन (यदि कोई हो) के अध्यधीन, सेवा स्तर संबंधी समझौते (खंड-6 में एसएलए) के अनुसार, विदेश मंत्रालय में कैंटीन / पेंट्री का कार्यभार संभालने से पहले एक अनुबंध समझौता करना होगा।

5. निविदा शुल्क, बोली संबंधी प्रतिभूति घोषणा (बोली) और कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा राशि (पीएसडी):

i. **निविदा शुल्क:** बोलीदाताओं द्वारा डाउनलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ों के लिए निविदा दस्तावेज़ संबंधी कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा।

ii. **बोली संबंधी प्रतिभूति घोषणा (बीएसडी)**

वेंडर द्वारा तकनीकी बोली के साथ प्रपत्र के अनुसार निर्धारित प्रारूप में बोली संबंधी प्रतिभूति घोषणा संबंधी वचनबंध प्रस्तुत किया जाएगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) द्वारा जारी 'एमएसई खरीद नीति' में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के साथ पंजीकृत अथवा 'केंद्रीय खरीद संगठन' के साथ पंजीकृत बोलीदाताओं को छोड़कर, सभी बोलीदाताओं के लिए 'बोली संबंधी प्रतिभूति घोषणा' प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

iii. **कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा राशि (पीएसडी):**

1) सफल बो लीदाता को एलओए की स्वीकृति के समय बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट/फिक्स्ड डि पॉजिट रसीद (मूल रूप में) के रूप में नई दिल्ली में देय "वेतन एवं लेखा अधिकारी, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली" के पक्ष में "अनुबंध मूल्य के 3%" की दर से कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा राशि जमा करनी होगी। कार्य-निष्पादन प्रतिभूति सेवा प्रदाता के सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तिथि से साठ (60) दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी। यदि अनुबंध को प्रारंभिक अवधि से आगे बढ़ाया जाता है, तो सफल बोलीदाता को तदनुसार पीएसडी का नवीनीकरण करना होगा। पीएसडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

2) किसी भी उल्लंघन या लापरवाही या अनुबंध के किसी निबंधन और शर्तों का पालन न करने या असंतोषजनक प्रदर्शन करने या कार्य आदेश को अस्वीकार करने की स्थिति में, मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी। अनुबंध की समाप्ति पर, उक्त पीएसडी के हिस्से को मंत्रालय द्वारा फर्म को बिलों पर किए गए किसी भी गलत या अतिरिक्त भुगतान को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है, को तब तक रखा जाएगा जब तक कि कंपनी बिल के खाते पर अंतिम ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती और जांच नहीं हो जाती है।

ग) यदि ठेकेदार एलओए की स्वीकृति के समय निष्पादन सुरक्षा जमा (पीएसडी) प्रदान करने में विफल रहता है, तो ऐसी विफलता अनुबंध का उल्लंघन मानी जाएगी और मंत्रालय ठेकेदार के जोखिम पर लागत और खर्च पर अन्य व्यवस्था करने का हकदार होगा।

घ) उचित निष्पादन और सभी तरह से अनुबंध के पूरा होने पर, ठेकेदार से पूर्ण "नो डिमांड सर्टिफिकेट"की प्रस्तुति पर और किसी भी विशिष्टताओं, नमूनों या मंत्रालय से संबंधित अन्य संपत्ति, जो अनुबंध में निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए ठेकेदार को जारी किया गया हो सकता है, की अच्छी स्थिति में लौटने पर पीएसडी बिना किसी ब्याज के ठेकेदार को वापस कर दिया जाएगा।

ङ) यदि ठेकेदार द्वारा अनुबंध को निर्धारित अवधि के नोटिस के बिना समाप्त कर दिया जाता है या निविदा के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, अनुबंध प्रदान करने संबंधी पत्र एवं करार और सुरक्षा जमा जब्त कर लिया जाएगा।

6. **वित्तीय बोली**

बोलीदाताओं को यह नोट करना आवश्यक है कि वे आवश्यक रूप से प्रदान किए गए प्रारूप (.pdf) में अपनी वित्तीय बोलियां जमा करें और कोई अन्य प्रारूप स्वीकार्य नहीं है।

*****

No: Q/EF-Canteen/551/06/2022
Government of India
Ministry of External Affairs
(Establishment Division)
EF-Canteen Section

BID No. GEM/2022/B/2389408 **Dated: 29th July, 2022**

Section – 3

Pre Qualification Criteria (PQC) etc. if any required

1. MINIMUM ELIGIBILITY CRITERIA AT TECHNICAL BID STAGE

i. **Legally Valid Entity:** The bidder shall necessarily be a legally valid entity in the form of Limited Company/Private Limited Company/Proprietorship etc. The bidder must be in existence for a minimum period of 3 years on 31.03.2022**.**

ii. **License/Registration:** The bidder must be registered with the Income Tax, GST, Employees Provident Fund Organization, Employees State Insurance Corporation and Food license for Catering/Canteen services, issued by appropriate authority of Delhi/other state, i.e. License under FSS Act, 2006.

iii. **Experience:**

a) The bidder's should be in catering business for a continuous period of **Three years** as on **31.03.2022**.

b) Experience of having continuously running the catering services during the last three years as on **31.03.2022** as per following:

"Similar completed works each having <u>not less than 100 persons</u> on its dining strength per day in last three years. Similar nature of work means the running of the Canteen/mess of government departments/ institutions/ organizations/ Reputed Companies/ Guest Houses for officials."

c) The bidders are required to submit the performance certificate as per Form – III for each work completed during last three years ending 31.03.2022.

iv. **Average Financial Turnover :**

The bidders' average Annual Financial Turnover in catering services during the last three financial years should **not be less than Rs. 20,00,000/-.**

2. DOCUMENTS SUPPORTING THE MINIMUM ELIGIBILITY CRITERIA:

i. In proof of having fully adhered to the minimum eligibility criteria at 1(i), attested copies of all the certificates of incorporation of firm/company shall be accepted. Attested copies of these documents have to be uploaded with the Technical Bid.

ii. In Proof of having fully adhered to minimum eligibility criteria at 1(ii), attested copies of following shall be accepted:

a) PAN
b) EPFO
c) ESIC
d) GST
e) License under FSS Act, 2006.

<u>**Attested copies of these documents to be uploaded with Technical Bid. All the licenses must be in the name of bidder.**</u>

iii. In proof of having fully adhered to minimum eligibility criteria at 1(iii), attested copies of Work Completion Certificates (as per Form-III) issued by client Central/State Government Departments/Ministries/Organizations of the Government of India/State Government/PSU's and big reputed Private Organizations, shall be accepted. Attested copies of these documents to be uploaded with Technical Bid.

iv. In proof of having fully adhered to minimum eligibility criteria at 1(iv), attested copy of the Income Tax Returns and audited balance sheets for the completed three financial years (P&L Account & Balance Sheet must be attached for 03 years) shall be accepted. Attested copies of these documents have to be uploaded with Technical Bid. The company should not have incurred loss during the last three financial years and should have a positive net worth.

v. The following documents may also be attached with Technical Bid:

- **a)** Power of Attorney/Authorization: Firm's authorizing a representative to bid on their behalf and sign all bid documents.
- **b)** Company's Profile
- **c)** Signed bid document(on all pages)
- **d)** Copy of Certificate of registration with MSME

3. SUBMISSION OF ONLINE BIDS:

i. The bid shall be submitted online only at GeM Portal. Manual bids will not be accepted under any circumstances.

ii. All documents as per tender requirement shall be uploaded online through GeM Portal.

iii. Bid of bidders not submitting any of the required documents online will be summarily rejected.

iv. Both technical and financial bid are to be submitted concurrently duly digitally signed on the GeM Portal.

v. The Technical and Financial Bids (complete in all respects) must be uploaded online on GeM Portal in .pdf format only. **Refer Pt. 20 in Section 5 of this Document.**

*****

सं.: क्यू/ईएफ-कैंटीन/551/06/2022
भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
(स्थापना प्रभाग)
ईएफ-कैंटीन अनुभाग

बोली संख्या: जीईएम/2022/बी/2389408 दिनांक: 29 जुलाई, 2022

खंड 3

पूर्व योग्यता मानदंड (पीक्यूसी) आदि। यदि अपेक्षित हो

1. तकनीकी बोली चरण में न्यूनतम पात्रता मानदंड

i. **कानूनी रूप से वैध इकाई:** बोलीदाता आवश्यक रूप से लिमिटेड कंपनी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/स्वामित्व आदि के रूप में कानूनी रूप से वैध इकाई होना चाहिए। बोलीदाता 31.03.2022 को न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए अस्तित्व में होना चाहिए ।

ii. **लाइसेंस / पंजीकरण:** बोलीदाता को आयकर, जीएसटी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और खानपान / कैंटीन सेवाओं के लिए खाद्य लाइसेंस के साथ पंजीकृत होना चाहिए, जो दिल्ली / अन्य राज्य के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, अर्थात एफएसएस अधिनियम के तहत लाइसेंस, 2006

iii. **अनुभव:**

क) बोलीदाता को **31.03.2022** की स्थिति के अनुसार लगातार **तीन वर्षों की अवधि के लिए खानपान व्यवसाय में होना चाहिए।**

ख) 31.03.2022 को पिछले तीन वर्षों के दौरान लगातार खानपान सेवाएं चलाने का अनुभव निम्नानुसार है:

"पिछले तीन वर्षों में प्रतिदिन अपनी भोजन व्यवस्था पर <u>कम से कम 100 व्यक्तियों के लिए</u> इसी तरह का समान पूर्ण किया गया कार्य। इसी प्रकार के कार्य का अर्थ है अधिकारियों के लिए सरकारी विभागों/संस्थानों/संगठनों/प्रतिष्ठित कंपनियों/अतिथि गृहों के लिए कैंटीन/ जलपान चलाना।"

ग) बोलीदाताओं को 31.03.2022 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए फॉर्म- III के अनुसार निष्पादन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

iv. **औसत वित्तीय कारोबार :**

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान खानपान सेवाओं में बोलीदाताओं का औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार **20,00,000/- रुपये से कम नहीं होना चाहिए।**

2. न्यूनतम पात्रता मानदंड निर्धारित करने वाले दस्तावेज:

i. 1(i) में न्यूनतम पात्रता मानदंड का पूरी तरह से पालन करने के प्रमाण में, फर्म/कंपनी के निगमन के सभी प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियों को स्वीकार किया जाएगा। इन दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों को तकनीकी बोली के साथ अपलोड करना होगा।

ii. 1(ii) पर न्यूनतम पात्रता मानदंड का पूरी तरह से पालन करने के प्रमाण में, निम्नलिखित की सत्यापित प्रतियां स्वीकार की जाएंगी:

क) पैन
ख) ईपीएफओ
ग) ईएसआईसी
घ) जीएसटी
ङ) एफएसएस अधिनियम, 2006 के तहत लाइसेंस।

<u>इन दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां तकनीकी बोली के साथ अपलोड की जानी हैं। सभी लाइसेंस बोली लगाने वाले के नाम होने चाहिए।</u>

iii. 1(iii) पर न्यूनतम पात्रता मानदंड का पूरी तरह से पालन करने के प्रमाण में, ग्राहक केंद्र/राज्य सरकार के विभागों/मंत्रालयों/भारत सरकार के संगठनों/राज्य सरकार/ पीएसयू और बड़े प्रतिष्ठित निजी संगठनों द्वारा जारी कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्रों (प्रपत्र- III के अनुसार)की सत्यापित प्रतियां स्वीकार की जाएंगी। इन दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां तकनीकी बोली के साथ अपलोड की जानी हैं।

iv. 1(iv) पर न्यूनतम पात्रता मानदंड का पूरी तरह से पालन करने के प्रमाण में, पूरे तीन वित्तीय वर्षों के लिए आयकर रिटर्न और लेखा परीक्षित बैलेंस शीट की सत्यापित प्रति (पी एंड एल खाता और बैलेंस शीट 03 वर्षों के लिए संलग्न होनी चाहिए) स्वीकार की जाएगी। इन दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों को तकनीकी बोली के साथ अपलोड करना होगा। कंपनी को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान घाटा नहीं होना चाहिए था और उसका कुल मूल्य सकारात्मक होना चाहिए।

v. तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न किए जाएंगे:

क) मुख्तारनामा / प्राधिकार पत्र: फर्म द्वारा एक प्रतिनिधि को उनकी ओर से बोली लगाने और सभी बोली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत करना।

ख) कंपनी की प्रोफाइल

ग) हस्ताक्षरित बोली दस्तावेज (सभी पृष्ठों पर)

घ) एमएसएमई के साथ पंजीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति

3. ऑनलाइन बोलियां जमा करना:

i. बोली केवल जैम पोर्टल पर ऑनलाइन जमा की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में मैनुअल बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

ii. निविदा आवश्यकता के अनुसार सभी दस्तावेज जैम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे।

iii. किसी भी आवश्यक दस्तावेज को ऑनलाइन जमा नहीं करने वाले बोलीदाताओं की बोली को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

iv. तकनीकी और वित्तीय बोली दोनों को एक साथ विधिवत रूप से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित करके जैम पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाना है।

v. तकनीकी और वित्तीय बोलियां (सभी प्रकार से पूर्ण) केवल .pdf प्रारूप में जैम पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड की जानी चाहिए। **संदर्भ पं. इस दस्तावेज़ की खंड 5 में बिंदु 20.**

*****

No: Q/EF-Canteen/551/06/2022
Government of India
Ministry of External Affairs
(Establishment Division)
EF-Canteen Section

BID No. GEM/2022/B/2389408 **Dated: 29th July, 2022**

Section – 4

Scope of Work

1. CANTEEN SERVICES AT JAWAHARLAL NEHRU BHAWAN, NEW DELHI

- **i.** Preparation, processing, cooking and serving of prepared and cooked food items, after taking into account the availability of seasonal vegetables and fruits, to the officers/officials. The workers have to work under the guidance of Canteen Supervisor. The workers will work in Kitchen and Dining area. Responsibility of cleaning of kitchen will be on part of cater.

- **ii.** Serving of Tea/Coffee, biscuits and snacks etc. during official meetings/conferences and seminars in as and when required basis (including Saturday/Sunday).

2. CANTEEN SERVICES AT SOUTH BLOCK, NEW DELHI

- **i.** Preparation, processing, cooking and serving of prepared and cooked food items, after taking into account the availability of seasonal vegetables and fruits, to the officers/officials. The workers have to work under the guidance of Canteen Supervisor. The workers will work in Kitchen and Dining area. Responsibility of cleaning of kitchen will be on part of cater.

- **ii.** Serving of Tea/Coffee, biscuits and snacks etc. during official meetings/conferences and seminars in as and when required basis (including Saturday/Sunday).

3. PANTRY SERVICE AT SHASTRI BHAWAN and AKBAR BHAWAN, NEW DELHI

- **i.** The agency is required to set up pantries at Shastri Bhawan and Akbar Bhawan to serve Tea/Coffee, biscuits and snacks to the officers/officials of the Ministry of External Affairs.

- **ii.** The agency is also required to serve Tea/Coffee, biscuits and snacks etc. during official meetings/conferences and seminars in as and when required basis (including Saturday/Sunday).

4. ADDITIONAL JOB SPECIFICATIONS

- **i.** The Agency is required to supply entitled refreshments (tea/coffee) to SOs and equivalent officers as per requisitions received.

- **ii.** The agency is required to meet the day to day requirements of the officers, like breakfast, lunch, tea, snacks, coffee, cold drinks etc. and should have catering arrangements on requirement basis. No minimum guarantee will be furnished to the Contractor towards consumption of food items.

- **iii.** The agency will be required to display the price list of all the food articles, soft drinks, tea, coffee and juice etc. sold in the canteen. The prices of the items sold in the MEA canteen should not be more than the quoted prices and will be reviewed by Committee of MEA officials on regular basis.

- **iv.** The food has to be prepared in clean, hygienic and safe conditions as per the menu.

- **v.** The workers should have worked in large canteens, hotels, messes for a period of three years and should have the sufficient knowledge and aptitude of preparing veg. and non- veg. food.

vi. The kitchen, dining area, dish wash area, etc. to be kept clean always and will be washed with water and soap solution and mopped regularly and will be disinfected once in a month or as and when required.

vii. The Agency will arrange for disposal of the garbage collected from the kitchen, dining halls, dish wash area etc. every morning in closed bins by separation of bio-degradable waste from non-biodegradable waste. The surroundings shall be kept clean and hygienic.

viii. High quality of hygiene, sanitation and safety will be maintained at kitchen and dining halls. All the surrounding area of the canteen premises should be cleaned and washed daily.

ix. After every meal (breakfast & lunch), all the plates, cups, katoris, water glass, spoons, forks, knives etc., are to be cleaned in soap solution and hot water and dried and kept ready for next meal. All the vessels used for cooking should also be washed in soap solution and hot water and should be available for use for cooking the next meal. The cleaning material supplied should be of appropriate quality.

x. A complaint box will be kept in the canteen for recording any complaint or suggestions from any user of the Ministry of External Affairs and will be produced for inspection. Decision taken by the Competent Authority of the Ministry shall be final in all these complaints/suggestions.

xi. The Agency cannot make any alteration in rates without the prior approval of the competent authority of Ministry of External Affairs.

xii. In South Block, basic equipment (as per list attached) for functioning of canteen will be provided. **For Jawaharlal Nehru Bhawan, Shastri Bhawan, Akbar Bhawan and Patiala House, the vender will make his own arrangements for all the required equipment for smooth running of canteen/pantry.**

xiii. The contractor is required to provide all the quoted items on the requirement basis. They must have the raw material so that they may provide the services as and when required.

*****

सं.: क्यू/ईएफ-कैंटीन/551/06/2022
भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
(स्थापना प्रभाग)
ईएफ-कैंटीन अनुभाग

बोली संख्या: जीईएम/2022/बी/2389408 **दिनांक: 29 जुलाई, 2022**

खंड - 4
कार्यक्षेत्र

1. **जवाहरलाल नेहरू भवन, नई दिल्ली में कैंटीन सेवाएं**

i. अधिकारियों/कर्मचारियों को मौसमी सब्जियों और फलों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तैयार और पके हुए खाद्य पदार्थों की तैयारी, प्रसंस्करण, खाना बनाना और परोसना। श्रमिकों को कैंटीन सुपरवाइजर के मार्गदर्शन में काम करना होता है। मजदूर किचन और डाइनिंग एरिया में काम करेंगे। किचन की सफाई की जिम्मेदारी कैटर की होगी।

ii. आधिकारिक बैठकों/सम्मेलनों और संगोष्ठियों के दौरान चाय/कॉफी, बिस्कुट और नाश्ता आदि जब भी आवश्यक हो (शनिवार/रविवार सहित) परोसना।

2. **साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में कैंटीन सेवाएं**

i. अधिकारियों/कर्मचारियों को मौसमी सब्जियों और फलों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तैयार और पके हुए खाद्य पदार्थों की तैयारी, प्रसंस्करण, खाना बनाना और परोसना। श्रमिकों को कैंटीन सुपरवाइजर के मार्गदर्शन में काम करना होता है। मजदूर किचन और डाइनिंग एरिया में काम करेंगे। किचन की सफाई की जिम्मेदारी कैटर की होगी।

ii. आधिकारिक बैठकों/सम्मेलनों और संगोष्ठियों के दौरान चाय/कॉफी, बिस्कुट और नाश्ता आदि जब भी आवश्यक हो (शनिवार/रविवार सहित) परोसना।

3. **शास्त्री भवन और अकबर भवन, नई दिल्ली में पेंट्री सेवा**

i. एजेंसी को विदेश मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को चाय/कॉफी, बिस्कुट और स्नैक्स परोसने के लिए शास्त्री भवन और अकबर भवन में पैंट्री स्थापित करनी होगी।

ii. एजेंसी को आवश्यकता पड़ने पर (शनिवार/रविवार सहित) आधिकारिक बैठकों/सम्मेलनों और सेमिनारों के दौरान चाय/कॉफी, बिस्कुट और स्नैक्स आदि परोसना भी आवश्यक है।

4. **अतिरिक्त कार्य विनिर्दिष्टताएं**

i. एजेंसी को प्राप्त आवश्यकताओं के अनुसार अनुभाग अधिकारी और समकक्ष अधिकारियों को उनकी हकदारी के अनुसार जलपान (चाय/कॉफी) की आपूर्ति करना अपेक्षित है।

ii. एजेंसी को अधिकारियों की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं जैसे नाश्ता, दोपहर का भोजन, चाय, नाश्ता, कॉफी, शीतल पेय आदि को पूरा करना आवश्यक है और आवश्यकता के आधार पर खानपान की व्यवस्था करनी चाहिए। खाद्य सामग्री के उपभोग के लिए ठेकेदार को कोई न्यूनतम गारंटी नहीं दी जाएगी।

iii. एजेंसी को कैंटीन में बेचे जाने वाले सभी खाद्य पदार्थों, शीतल पेय, चाय, कॉफी और जूस आदि की मूल्य सूची प्रदर्शित करनी होगी। विदेश मंत्रालय की कैंटीन में बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतें उद्धृत कीमतों से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसकी समीक्षा विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की समिति द्वारा नियमित आधार पर की जाएगी।

iv. भोजन को मेन्यू के अनुसार साफ, स्वच्छ और सुरक्षित परिस्थितियों में तैयार करना होगा।

v. कर्मचारियों के पास तीन साल की अवधि के लिए बड़ी कैंटीन, होटल, मेस में काम करने का अनुभव होना चाहिए और शाकाहारी तथा मांसाहारी भोजन तैयार करने का पर्याप्त ज्ञान और योग्यता होनी चाहिए।।

vi. किचन, डाइनिंग एरिया, डिश वॉश एरिया आदि को हमेशा साफ रखना चाहिए और पानी और साबुन के घोल से धोना चाहिए और नियमित रूप से पोछा लगाना चाहिए और महीने में एक बार या जब भी आवश्यकता हो कीटाणुरहित किया जाएगा।

vii. एजेंसी हर सुबह किचन, डाइनिंग हॉल, डिश वॉश एरिया आदि से एकत्रित कचरे को गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे से बायो-डिग्रेडेबल कचरे को अलग करके बंद डिब्बे में निपटाने की व्यवस्था करेगी। आसपास के क्षेत्र को साफ और स्वच्छ रखा जाएगा।

viii. हॉल में उच्च गुणवत्ता वाली साफ-सफाई, स्वच्छता और सुरक्षा को बनाए रखा जाएगा । कैंटीन परिसर के आसपास के सभी क्षेत्र को प्रतिदिन साफ और धोया जाना चाहिए ।

ix. प्रत्येक भोजन (नाश्ता और दोपहर का भोजन) के बाद, सभी प्लेट, कप, कटोरी, पानी के गिलास, चम्मच, कांटे, चाकू आदि को साबुन के घोल और गर्म पानी में साफ करके सुखाकर अगले भोजन के लिए तैयार रखना होता है। खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी बर्तनों को भी साबुन के घोल और गर्म पानी से धोना चाहिए और उन्हें अगले भोजन को पकाने के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध रखना चाहिए। आपूर्ति की जाने वाली सफाई सामग्री उचित गुणवत्ता की होनी चाहिए।

x. विदेश मंत्रालय के किसी भी उपयोगकर्ता से किसी भी शिकायत या सुझाव को दर्ज करने के लिए कैंटीन में एक शिकायत पेटी रखी जाएगी और निरीक्षण के लिए पेश की जाएगी। इन सभी शिकायतों/सुझावों में मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

xi. एजेंसी विदेश मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना दरों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है।

xii. साउथ ब्लॉक में कैंटीन के संचालन के लिए बुनियादी उपकरण (संलग्न सूची के अनुसार) उपलब्ध कराए जाएंगे। **जवाहरलाल नेहरू भवन, शास्त्री भवन, अकबर भवन और पटियाला हाउस के लिए कैंटीन/पेंट्री के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था विक्रेता स्वयं करेंगे।**

xiii. ठेकेदार को आवश्यकता के आधार पर सभी उद्धृत वस्तुओं को उपलब्ध कराना आवश्यक है। उनके पास कच्चा माल होना चाहिए ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर सेवाएं प्रदान कर सकें।

*****

No: Q/EF-Canteen/551/06/2022
Government of India
Ministry of External Affairs
(Establishment Division)
EF-Canteen Section

BID No. GEM/2022/B/2389408 **Dated: 29th July, 2022**

Section – 5

Special Terms and Conditions (STC) of the Contract

1. **EXTENSION OF LAST DATE AT THE DISCRETION OF THE MEA:**

The extension of last date for online submission of bid is in discretion of the competent authority of MEA and any such extension will be binding on all the Bidders. Addendum/ Corrigendum/Re-tendering, if any in this regard, will be published on the GeM Portal and MEA's website www.mea.gov.in

2. **OPENING OF TECHNICAL AND FINANCIAL BID:**

i. Online bids (complete in all respects) received along with EMD (Physically) will be opened as per stipulated time and date indicated in Notice Inviting E-Tender of the tender document in presence of bidder/authorized representative of bidder, if available at Ministry of External Affairs, New Delhi.

* EMD = 5% of Estimated Contract Value i.e. Rs. 2,00,000/- (Rupees Two lakh Only)
# EMD of the unsuccessful bidders will be returned within 30 days of declaration of the result of the first stage i.e. Technical Evaluation.

ii. A duly constituted committee will evaluate the bids as per following:

Stage 1: Technical Bids Evaluation

Technical bid evaluation will consists of two parts:

i. Document part (With Technical Bid uploaded) :

a) Experience: 3 Years
b) Turn over: 20 Lakhs
c) Number of official served per day: above 200
d) Other documents as mentioned in Technical bid (pt.20 of this section)

* Exemptions may be given to MSEs and Start-ups i.r.o. experience as well as average annual turnover.

ii. Tender Evaluation Committee (TEC) site visit part (20 pts.):

a) Cleanliness of kitchen - 05 pts.
b) Staff Hygiene - 05 pts.
c) Quality of food - 05 pts.
d) Raw Materials of food - 05 pts.
Total - 20 pts.

Note:

i. TEC will visit any of the existing sites of only those bidders who will qualify in the document part after opening of the Technical bids.
ii. Date and time of TEC visit will be informed after evaluation of document part (preferably by email).
iii. TEC will mainly focus on Quality of food, Cleanliness of kitchen, Staff Hygiene, Raw materials of food, Number of persons availing canteen facilities and Staff Attire etc. Each member of TEC evaluate on the basis of point system and after that average of all the members will be taken into account.

iv. **Result of Technical Bids**: Only those bidders will qualify at the Technical stage who qualifies at Document part + secure a total of 15 points or above in TEC visit part.

v. **The result of Technical bids will be uploaded on the GEM Portal after following the above mentioned procedure.**

Stage 2: Financial Bids Evaluation:

Financial bid of only technically qualified bidder will be opened and evaluated.

3. AWARD OF TENDER TO SUCCESSFUL BIDDER

i. **The tender will be awarded on the basis of Least Cost System (L-1)).**

ii. It shall be noted that required documents submitted online along with the technical bid will be perused/examined. Bid received without Original EMD (except exempted bidders) will not be evaluated further and in case of any other deficiency, the technical bid will be rejected and financial bid will not be opened.

iii. After scrutiny of technical bids, the Ministry shall shortlist the eligible bidders who qualify in the technical evaluation stage and inform them of the date and time of opening of the Financial Bids preferably by E-mail and also on GeM Portal.

iv. The representatives of the bidders willing to attend tender opening process will have to submit a letter of authorization from the bidder to this effect. Bidders/representatives not attending the tender opening process will lose their right to challenge the process at a subsequent stage.

v. The financial bid price of each bidder shall be read out on the spot, however, it shall be clearly stated that the final financial bid prices would be arrived at after detailed scrutiny/correction of arithmetical error in the financial bid.

vi. Merely becoming the lowest bidder, prior to Financial Bid scrutiny, will not give any right to the lowest bidder to claim that he is successful in the bidding process**. The basis of selection of successful bidder would be L-1 after due scrutiny of all the bids as per pt.2.**

vii. Bids shall be summarily rejected, if it is received other than online through GeM Portal.

4. VALIDITY OF BIDS

i. Bids shall remain valid and open for acceptance for a period of 80 days from the last date of submission of Bids.

ii. In case, client calls the bidder for negotiation then this shall not amount to cancellation or withdrawal of original offer which shall be binding on bidder.

iii. The Ministry may request for extension for another period of 80 days, without any modifications and without giving any reasons thereof.

5. NON – TRANSFER-ABILITY

This tender is non-transferable. Incomplete and conditional tenders will be summarily rejected.

6. NON – WITHDRAWAL OF BIDS

No bidders will be allowed to withdraw after e-submission of bids/opening of the tender; otherwise necessary action will be taken against the Bidders as per Bid Security Declaration by the firm.

7. CHANGE IN TENDER CONDITIONS

The Ministry reserves the right to change any condition of the tender before opening of the Technical Bids.

8. RIGHT OF ACCEPTANCE

i. The Competent Authority in the Ministry of External Affairs reserves all rights to reject any bid, including bids of those bidders who fail to comply with the instructions, without assigning any reason whatsoever and does not bind itself to accept the lowest or any specific bids. The decision of the Competent Authority in the Ministry in this regard shall be final and binding.

ii. Any failure on the part of the bidder to observe the prescribed procedure and any attempt to canvass for the work shall render the bidder's bids liable for rejection.

iii. The Competent Authority in the Ministry reserves the right to award any or part or full contract to any successful agency(ies) at its discretion and this will be binding on the bidders.

iv. In case of failure to comply with the provisions of the terms and conditions mentioned by the agency that has been awarded the contract, the Competent Authority in the Ministry reserves the right to award the contract to the next higher bidder or any other outside agency and the difference of price shall be recovered from the defaulting agency, which has been awarded the initial contract and this will be binding on the bidders.

v. The Ministry of External Affairs may terminate the contract if it is found that the Contractor is blacklisted on previous occasions by any of the Government Departments / Institutions /Local Bodies / Municipalities / Public Sector Undertakings, etc.

9. NOTIFICATION OF AWARD BY ISSUANCE OF "LETTER OF AWARD":

i. After determining/evaluating the successful bidder, MEA will issue a Letter of Award (LoA), in duplicate, which will return one copy to MEA duly acknowledged, accepted and signed by the authorized signatory, within seven (07) working days of receipt of the same by the successful bidders.

ii. The issuance of the Letter of Award to the bidder will constitute an integral part of the Agreement and it will be binding on the Contractor.

10. QUOTED RATES VALIDITY:

Rates/prices shall remain fixed during the entire period of the contract i.e. one year and shall not be subject to variation on any account.

11. VALIDITY OF CONTRACT:

i. The contract, if awarded, shall be <u>initially valid for a period of ONE YEAR (01 year) from the date of award</u>. <u>The contract can be extended for further period of **ONE more year** on same terms and conditions and same rates, subject to satisfactory services provided by the vendor</u>. In case of breach of contract or in the event of not fulfilling the minimum requirements/statutory requirements, the Ministry shall have the right at any time to terminate the contract forthwith in addition to forfeiting the Performance Security amount deposited by

the Contractor and initiating administrative actions for blacklisting, etc solely at the discretion of the competent authority of the office of Ministry.

ii. The contract will have probationary period of three months. The contract for the remaining **nine months** (09 Months) will be confirmed only if the services and quality of items served by the contractor are found satisfactory during the probationary period.

12. MODE OF PAYMENT:

i. Contractor must ensure the payment of Counter Sales will be accepted by both **Cash and E-Payment mode (Paytm, Phonepe, UPI, etc).**

ii. The payment in respect of official hospitality bills of the MEA submitted in duplicate by the contractor will be released on receipt basis subject to fulfillment of obligations by the contractor imposed under various laws, Rules & Regulations, etc. applicable from time to time and after scrutiny of authorization for supply at the prices offered by the contractor. Any supply of food items without proper authorization by the designated authority of MEA will not be paid for. Payment will be made through RTGS/NEFT (bank transfer).

iii. Income Tax as applicable at the prevailing rates will be deducted at source.

iv. The Contractor shall be paid on a monthly basis for the services rendered in the preceding month. The billing cycle will be the 1st of every month to the last day of the month. The Contractor shall submit correct invoice within 10 days of the succeeding month.

v. If due to any query, objection, delay or dispute with regard to any bill or a part thereof, the contractor will not be entitled to claim any interest for late payment.

vi. No payment shall be made in advance nor any loan from any bank or financial institution recommended on the basis of the order of award of work.

vii. The prices in the Price Schedule shall be inclusive of GST and other cess.

13. TERMINATION OF THE CONTRACT:

i. The Contract can be terminated by either party, i.e., Ministry or the Contractor, after giving three months notice to the other party extendable by mutual agreement till alternate arrangements are made. However, Ministry reserves the right to terminate the contract without giving any notice in case the Contractor commits breach of any of the terms of the contract. Ministry’s decision in such a situation shall be final and shall be accepted by the Contractor without any objection or resistance.

ii. On termination of the contract, the Contractor will hand over all the equipment/furniture/articles etc., supplied by Ministry, back to Ministry in good working condition.

iii. If the successful bidder withdraws or the services provided by the successful bidder are not found satisfactory during the probation period of three months from the date of taking over charge of the services, Ministry reserves the right to terminate the contract without giving any notice and initiate appropriate necessary action in the matter for making alternate arrangements.

14. DELIVERY & PENALTY FOR DELAYED SERVICES:

i. The staff deployed by the company shall perform their duties at the premises with due diligence and take all precautions to avoid any loss or damage to the Government property. If any negligent action or inaction on the part of workers of the company causing damage to contracted item(s) is reported, then full amount equivalent to that of damaged article will be recovered from the company in addition to any other action as deemed appropriate by the Competent Authority.

ii. In case they fail to provide canteen/pantry services on any specified date, EF-Canteen Section should be intimated at least one week in advance that they will not be able to provide the canteen/pantry services on the specified date. If the bidder will not be able to serve in any meetings/conferences on any specified date, EF-Canteen Section must be intimated at the time of taking the order. Intimation will only be considered under extreme circumstances.

15. CORRUPT OR FRAUDULENT PRACTICES:

i. It is expected that the bidders who wish to bid for this tender have highest standards of ethics.

ii. Ministry shall reject a bid if it determines that the bidder recommended for award has engaged in corrupt or fraudulent practices while competing for this contract.

iii. Ministry may declare a bidder ineligible, either indefinitely or for a stated duration, if it, at any time, determines that the bidder has engaged in corrupt and fraudulent practices during the execution of contract.

16. FORCE MAJEURE:

i. Ministry may consider relaxing the penalty and delivery requirements, as specified in this Tender Document, if and to the extent the delay in performance or failure to perform its obligations under the contract is the result of a Force Majeure.

ii. Force Majeure is defined as an event of effect that cannot reasonably be anticipated such as natural disasters, act of states, direct and indirect consequences of wars (declared or Undeclared), hostilities, national emergencies, civil commotion and strikes at successful bidders premise, etc.

17. SETTLEMENT OF DISPUTE AND ARBITRATION:

i. If any dispute or difference arises between the parties hereto as to the interpretation, effect and implication of any provision of this agreement, including the rights or liabilities or any claim or demand of any party against other or in regard to any other matter under these presents but excluding any matters, decisions or determination of which is expressly provided for in this tender, shall within 15 days (or such longer period as may be mutually agreed upon) from the date one party informs the other in writing that such dispute or disputes or disagreement exists, be referred to negotiations for a period of 30 days after which parties can submit the dispute to arbitration in accordance with the Arbitration and Conciliation Act 1996 and the rules framed there under for the time being in force. The award made in pursuance thereof shall of binding on the parties.

ii. The sole arbitrator shall be appointed by the mutual consent of both Parties.

iii. The venue and seat of the Arbitration shall be at Delhi.

iv. The language of arbitration proceedings will be English only.

v. Each party shall bear and pay its own cost of the arbitration proceedings unless the Arbitrator otherwise decides in the Award.

vi. The provisions of this Clause shall not be frustrated, abrogated or become inoperative, notwithstanding this tender/agreement expires or ceases to exist or is terminated or revoked or declared unlawful.

vii. The Courts at New Delhi shall have exclusive jurisdiction in all matters, concerning this Agreement/tender including any matter related to or arising out of the arbitration proceedings.

18. MEA PREMISES:

i. The canteen/pantry will remain open from 09:00 AM to 05:30 PM from Monday to Friday. However, depending on the exigencies, the contractor may be required to keep the Canteen/ pantry open or close as per requirement of Ministry.

ii. The possession of the premises to be assigned by the MEA to contractor for providing canteen/pantry service will always remain with MEA, even when the premises are in use or not. The contractor will vacate the premises immediately after termination of contract.

19. GENERAL/ OTHERS:

i. In no circumstances, the firm shall appoint any sub-contractor or sub-lease the contract. If it is found that the contractor has violated these conditions, the contract shall be terminated forthwith without any notice and Performance Security Deposit will be forfeited.

ii. The bidders will be bound by the details furnished to MEA, while submitting the tender or at subsequent stage. In case, any of such documents furnished by him / her is found to be false at any stage, it would be deemed to be a breach of terms of contract making him / her liable for legal action besides termination of contract.

22. The bidder has to submit the Technical Bid and Financial Bid in the .pdf format on GeM Portal.

TECHNICAL BID

BID No. GEM/2022/B/2389408 **Dated: 29/07/2022**

Cover-I (Technical Bid) (following documents to be uploaded online in **.pdf** format)

Sl. No.	**Document**	**File Type**
1	Contact Details Form **(Form-I)**	.pdf
2	Bid Security Declaration in prescribed format as mentioned in tender document (Section 12)	.pdf
3	Scanned copy of Affidavit in Section – 13 of the tender document	.pdf
4	Certified copies of Registration particulars of firm / Company	.pdf
5	Certified copies of (i) PAN (ii)GST (iii) EPFO Registration (iv) ESIC Registration (v) License under FSS Act, 2006. (vi) MSME Registration, wherever required.	.pdf
6	Income Tax Returns for the last three years.	.pdf
7	Proof of minimum experience (Minimum period of 03 years as on 31.03.2022)	.pdf
8	Certified copies of annual audited Balance sheet, Profit and Loss Statement and Income Tax Return filed for the completed three financial years (and not Assessment Years). The bidders average Annual Financial Turnover in catering services during the last three financial years should not be less that Rs. 20,00,000/-	.pdf
9	Financial Capacity Form **(Form-II)** duly certified by company auditor	.pdf
10	Format of Performance Certification **(Form -III)**, duly certified.	.pdf
11	Details of Previous Contract **(Form - IV)**	.pdf
12	Check List Form **(Form-V)**	.pdf
13	Brief Profile of the Company along with any other information	.pdf
14	Power of Attorney/Authorization	.pdf
15	Tender document signed & stamped on all pages as a token of having accepted the terms and conditions.	.pdf

Signature of the authorized
Signatory of the bidder with
Seal of the firm/company

Name: ___________________
Date:___ _________________
Mob No.___________________

FORMS AND CHECKLISTS

FORM-I

CONTACT DETAILS FORM

GENERAL DETAILS OF BIDDER

1.	NAME OF THE COMPANY	
2.	NAME AND DESIGNATION OF AUTHORIZED REPRESENTATIVE	
3.	COMMUNICATION ADDRESS	
4.	TELEPHONE AND MOBILE NO.	
5.	FAX NO.	
6.	E-MAIL ID	

PARTICULAR DETAILS OF THE BIDDER'S REPRESENTATIVE

1.	NAME OF THE CONTACT PERSON	
2.	DESIGNATION	
3.	COMMUNICATION ADDRESS	
4.	TELEPHONE NO.	
5.	MOBILE NO.	
6.	EMAIL ID	
7.	BANK NAME	
8.	BRANCH ADDRESS	
9.	ACCOUNT NUMBER	
10.	IFSC CODE	

Signature of the Bidder

FORM-II

FINANCIAL CAPACITY FORM

Name of the Firm:

Address of the Firm:

FINANCIAL YEARS	2019-20	2020-21	2021-22
Annual Turnover (in INR)			

Signature of the authorized
Signatory of the bidder with
Seal of the firm/company

Name: ______________________

Mob No.____________________

Date: _______________________

NOTE: To be certified by Company Auditor with seal and signature.

FORM-III

FORMAT FOR PERFORMANCE CERTIFICATION

(Furnish this information for each individual work from the employer for whom the work was executed)

1. Name of the contract and location
2. Agreement no.

   a. Scope of Contract
   b. Contract Cost
   c. Date of Commencement
   d. Average Number of official served per day
   e. Period
   f. Amount of penalty levied, if any
   g. Performance Report:
   Quality of Food & Resourcefulness – **Very Good/Good/Satisfactory/Average**
   h. Compliance of all statutory requirements- Yes / No

(Seal of the Organization)

(Signature of the Responsible authority with seal)

Date:

FORM-IV

DETAILS OF PREVIOUS CONTRACTS

Period of Contract From To	Name and Address of the Organization with reference letters	Name of the contact person & Phone No.	Value of contract and other Details	Remarks

Give details of current contracts, if any, of similar services being rendered by you and which will be available for inspection by our officials:

Period of Contract From To	Name and Address of the Organization with reference letters	Name of the contact person & Phone No.	Value of contract and other Details	Remarks

Place:

Date: SEAL AND SIGNATURE OF THE BIDDER

FORM-V

CHECK LIST

SI. No.	Particulars	YES/NO
1.	Have you filled and submitted all forms: i) Form I to V (ii) Technical bid (iii) Financial bid (iv) Affidavit	
2.	Have you read and understood various conditions of the Contract and shall abide by them?	
	TECHNICAL BID	
3.	Have you enclosed scanned copy of the Bid Security Declaration in the prescribed format as mentioned at Section 12 in tender document?	
4.	Have you uploaded the proof of having met the following minimum eligibility criteria?	
4.1	Legal Valid Entity: Have you uploaded the attested Certificate for registration of company/firm?	
4.2.	Financial Capacity: Have you uploaded Income Tax Returns, Audited Balance Sheets and Profit & Loss Statement as required?	
4.3.	Registration License: Have you uploaded a copy of each of the Registration certificate?	
4.4.	Experience: Have you uploaded the attested experience: Certificates issued by the Organizations / Government Departments of the last 3 years?	
5.	Have your Technical Bid been prepared and uploaded as per the requirements of the Tender?	
	FINANCIAL BID	
6.	Have your Financial Bid proposal duly filled and upload as per instructions?	
7.	Have you quoted prices against each of the category/item?	
8.	Have you provided cost break ups for all components in the Financial bid?	
9.	Have you attended per-bid site visit/briefing?	

Note: - The above must be filled, signed and submitted along with the bid.

Signature of the authorized
Signatory with Seal of the firm/company
Name: ______________________
Mob No.____________________
Date: ______________________

Financial Bids

Rates inclusive of taxes should be provided by the bidder. The L1 bidder will be selected on the basis of the TOTAL menu cost.

Menu/List of items:

Rates for Meetings/Conferences

S.No.	Items	Rate (Per Head) in INR (Inclusive of all taxes)
1.	Tea/Coffee (125 ml)	
2.	Tea/Coffee (125 ml) + Biscuit/Cookies (2 Pcs.)	
3.	Tea/Coffee(125 ml), Biscuit/Cookies(2 Pcs.), Mixed Nuts (Kaju Roasted + Roasted Badam - 30 grams)	

Rates for Canteen/Pantry Services for Official/Staff (Breakfast)

S.No.	Name of Items	Rate in INR (Inclusive of all taxes)
	BREAKFAST	
1.	Bread Slice big size with Butter (2 pcs)	
2.	Bread Omelette (Two Slices)	
3.	Poha (one plate)- (200 grams)	
4.	Aloo Bhonda (70gram)	
5.	Bread Pakora (one piece)	
6.	Sabzi Kachori (2 piece)- 70 grams	
7.	Puri Sabzi (4 piece)- 80 grams	
8.	Aloo Paratha (one piece)	
9.	Paneer Paratha (one piece)	
10.	Onion Paratha (one piece)	
11.	Pav Bhaji (2 piece)- 70 grams	
12.	One Plate idly (2 pieces) with sambhar and Chatni	
13.	Dal Vada/ Channa Vada (70 gram)	

14.	One Plate Upma with sambhar and chatni (200 gram)	
15.	Sambhar Vada (2 piece-each vada 70 grams)	
16.	Dosa with Sambhar & Chutney (plain)	
17.	Masala Dosa with Sambhar & Chutney	
18.	Chole Bhature (2 Piece) – (70 grams)	
	LUNCH	
19.	Ordinary Lunch- Thali (Basmati Rice, Roti (3 pcs), Dal, Vegetable (Seasonal Green Veg.), Salad, Raita/Curd and sweet)	
20.	Deluxe Lunch-Thali (Basmati Rice, Roti(3 Pcs), Dal, Vegetable (Seasonal Green Veg. +Paneer item), Salad, Raita/Curd and sweet/Ice Cream (optional), Pickle	
21.	Half Plate Rice(Basmati) Pulao-(200 grams)	
22.	Full Plate Rice (Basmati) Pulao-(400 grams)	
23.	Fried Rice (200 grams)	
24.	One Roti (Tawa) - (70 grams)	
25.	One Roti (Tandoori) – (400 grams)	
26.	Dal (per plate)- (200 grams)	
27.	One Katori Rajma- (200 grams)	
28.	One Katori Kadhi Pakora(with 2 pcs. Pakora)- (200 grams)	
29.	One Katori Seasonal Vegetable- (200 grams)	
30.	One Katori Aalu Matar- (200 grams)	
31.	One Katori Baingan Bharta- (200 grams)	

32.	One Katori Mixed Vegetable- (200 grams)	
33.	One Katori Dahi Vada (two Piece vada)- (200 grams)	
34.	One Katori any Paneer Item-(200 grams)	
35.	One Katori Palak Paneer – (200 grams)	
36.	One Katori Nutri Paneer – (200 grams)	
37.	Egg Curry (Two Egg Piece)	
38.	Chicken Curry (Two Leg Piece)	
EVENING SNACKS		
39.	Mix Pakoda (80 grams)	
40.	French Fries (150 grams)	
41.	Hara Bhara Kabab (4 piece)	
42.	Bun Tikki (60 grams)	
All TIME ITEMS		
43.	Samosa (70 grams)	
44.	Veg. Patties (1 piece)	
45.	Paneer Patties (1 piece)	
46.	One Plate Maggi (200 grams)	
47.	Dhokla (1 piece- 70 grams)	

48.	Soup (200 ml)	
49.	Fruit Custard (200 ml)	
BEVERAGES		
50.	Tea (125 ml)	
51.	Coffee (125 ml)	
52.	Lassi (450 ml)	
53.	Fruit Juice Tetra Pack (200 ml)	
SWEETS		
54.	One Piece Gulab Jamun- (60 grams)	
55.	One Piece Rasgulla- (60 grams)	
56.	One Piece Barfi- (60 grams)	
57.	One Piece Ras Malai (70 grams)	
58.	Besan Ladoo (70 gram)	

Signature of the authorized
Signatory of the bidder with
Seal of the firm/company

Name: ________________________
Mob No.________________________
Date: ________________________

संख्या: क्यू/ईएफ-कैंटीन/551/06/2022
भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
(स्थापना प्रभाग)
ईएफ-कैंटीन अनुभाग

बोली संख्या: जीईएम/2022/बी/2389408 **दिनांक: 29 जुलाई, 2022**

धारा - 5

अनुबंध के
विशेष नियम और शर्तें (एसटीसी)

1. **विदेश मंत्रालय के विवेक पर अंतिम तिथि को बढ़ाना:**

ऑनलाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार विदेश मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर है और ऐसा कोई भी विस्तार सभी बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा। इस संबंध में परिशिष्ट/शुद्धिपत्र/पुन: निविदा, यदि कोई हो, को जीईएम पोर्टल और विदेश मंत्रालय की वेबसाइट www.mea.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा।

2. **तकनीकी और वित्तीय बोली खोलना:**

- ईएमडी (वास्तविक रूप से) के साथ प्राप्त ऑनलाइन बोलियां (सभी मामलों में पूर्ण) निविदा दस्तावेज के ई-निविदा आमंत्रण नोटिस में निर्दिष्ट निर्धारित समय और तारीख के अनुसार बोलीदाता / बोली लगाने वाले के अधिकृत प्रतिनिधि, यदि वह विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में मौजूद है तो, उसकी उपस्थिति में खोली जाएंगी।

  * ईएमडी = अनुमानित अनुबंध मूल्य का 5% अर्थात रु. 2,00,000 /- (दो लाख रुपये मात्र)
  # असफल बोलीदाताओं की ईएमडी पहले चरण यानी तकनीकी मूल्यांकन के परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी।

- एक विधिवत गठित समिति निम्नलिखित के अनुसार बोलियों का मूल्यांकन करेगी:

चरण 1: तकनीकी बोली मूल्यांकन

तकनीकी बोली मूल्यांकन में दो भाग होंगे:

- **दस्तावेज़ भाग (तकनीकी बोली अपलोड करना):**

- अनुभव: 3 साल
- टर्न ओवर: 20 लाख
- प्रति दिन सेवित अधिकारियों की संख्या: 200 से ऊपर
- तकनीकी बोली में उल्लिखित अन्य दस्तावेज (इस खंड का भाग 20)

* एमएसई और स्टार्ट-अप्स को अनुभव के साथ-साथ औसत वार्षिक कारोबार को नजरंदाज करते हुये छूट दी जा सकती है ।

- **टेंडर मूल्यांकन समिति (टीईसी) साइट विजिट पार्ट (20 अंक):**

- रसोई घर की सफाई - 05 अंक
- कर्मचारी स्वच्छता - 05 अंक
- भोजन की गुणवत्ता - 05 अंक
- भोजन का कच्चा माल - 05 अंक

कुल - 20 अंक

टिप्पणी:

- टीईसी केवल उन बोलीदाताओं की किसी भी मौजूदा साइट का दौरा करेगा जो तकनीकी बोलियों को खोलने के बाद दस्तावेज़ भाग में अर्हता प्राप्त करेंगे।
- दस्तावेज़ भाग के मूल्यांकन के बाद टीईसी द्वारा यात्रा की तिथि और समय सूचित किया जाएगा (अधिमानतः ईमेल द्वारा) ।
- टीईसी मुख्य रूप से भोजन की गुणवत्ता, रसोई घर की सफाई, कर्मचारियों की स्वच्छता, भोजन के कच्चे माल, कैंटीन सुविधाओं का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या और स्टाफ की पोशाक आदि पर ध्यान केंद्रित करेगा। टीईसी का

प्रत्येक सदस्य बिंदु प्रणाली के आधार पर मूल्यांकन करता है और उसके बाद सभी के मूल्यांकन का औसत किया जाएगा।

- **तकनीकी बोलियों का परिणाम** : तकनीकी स्तर पर केवल वे बोलीदाता अर्हता प्राप्त करेंगे जो दस्तावेज़ भाग में उत्तीर्ण होंगे + टीईसी के दौरे में कुल 15 या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे।
- **तकनीकी बोलियों का परिणाम उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करने के बाद जीईएम पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।**

चरण 2: वित्तीय बोली मूल्यांकन:

केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता की ही वित्तीय बोली खोली जाएगी और उसका मूल्यांकन किया जाएगा।

3. सफल बोलीदाता को निविदा प्रदान करना

- **निविदा न्यूनतम लागत प्रणाली (एल-1)) के आधार पर प्रदान की जाएगी।**

- यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि तकनीकी बोली के साथ ऑनलाइन जमा किए गए आवश्यक दस्तावेजों का अवलोकन/परीक्षण किया जाएगा। मूल ईएमडी (छूट प्राप्त बोलीदाताओं को छोड़कर) के बिना प्राप्त बोली का आगे मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और किसी अन्य कमी के मामले में, तकनीकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और वित्तीय बोली नहीं खोली जाएगी।

- तकनीकी बोलियों की जांच के बाद, मंत्रालय तकनीकी मूल्यांकन चरण में अर्हता प्राप्त करने वाले पात्र बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट करेगा और उन्हें वित्तीय बोली खोलने की तारीख और समय की सूचना ई-मेल द्वारा और जीईएम पोर्टल पर भी देगा।

- निविदा खोलने की प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों को इस आशय का एक प्राधिकरण पत्र प्रस्तुत करना होगा। निविदा खोलने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होने वाले बोलीदाताओं/प्रतिनिधियों को बाद के चरण में प्रक्रिया को चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा।

- प्रत्येक बोलीदाता की वित्तीय बोली मूल्य को मौके पर ही पढ़ा जाएगा, हालांकि, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि वित्तीय बोली में अंकगणितीय त्रुटि की विस्तृत जांच/सुधार के बाद अंतिम वित्तीय बोली का मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

- वित्तीय बोली की जांच से पहले सबसे कम बोली लगाने वाला होने से सबसे कम बोली लगाने वाले को यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा कि वह बोली प्रक्रिया में सफल है **। <u>बिन्दु 2 के अनुसार सभी बोलियों की उचित जांच के बाद सफल बोलीदाता के चयन का आधार एल-1 होगा</u> ।**

- जीईएम पोर्टल से ऑनलाइन के अलावा अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाली बोलियों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा ।

4. बोलियों की वैधता

- बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि से 80 दिनों की अवधि के लिए बोलियां वैध और स्वीकृति के लिए खुली रहेंगी ।

- यदि क्लाइंट बोलीदाता को बातचीत के लिए बुलाता है तो इससे मूल प्रस्ताव रद्द या वापस नहीं होगा, जो बोली लगाने वाले पर बाध्यकारी होगा।

- मंत्रालय बिना किसी संशोधन और बिना कोई कारण बताए 80 दिनों की और अवधि के लिए इसके विस्तार का अनुरोध कर सकता है।

5. अहस्तांतरणीय -क्षमता

यह निविदा अहस्तांतरणीय है। अपूर्ण एवं सशर्त निविदाओं को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

6. बोली वापस न लेने की अनुमति

ई-बोली जमा करने/निविदा खोलने के बाद किसी भी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी; अन्यथा फर्म द्वारा बोली सुरक्षा घोषणा के अनुसार बोलीदाताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

7. निविदा शर्तों में परिवर्तन

मंत्रालय तकनीकी बोली खोलने से पहले निविदा की किसी भी शर्त में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8. स्वीकृति का अधिकार

- विदेश मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के पास किसी भी बोली को अस्वीकार करने के सभी अधिकार सुरक्षित हैं, जिसमें उन बोलीदाताओं की बोलियां भी शामिल हैं जो बिना कोई कारण बताए निर्देशों का पालन नहीं करते हैं और न्यूनतम या किसी विशिष्ट बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं। इस संबंध में मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

- बोलीदाता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने और इस कार्य के लिए सिफारिश करने का कोई भी प्रयास बोलीदाता की बोलियों को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी होगा।

- प्राधिकारी अपने विवेक पर किसी भी सफल एजेंसी को कोई या आंशिक या पूर्ण अनुबंध देने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यह बोली लगाने वालों के लिए यह बाध्यकारी होगा।

- यदि वो एजेंसी जिसे अनुबंध प्रदान किया गया है उल्लिखित नियमों और शर्तों के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहती तो, मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी के पास अगले उच्च बोली लगाने वाली या अन्य किसी बाहरी एजेंसी को अनुबंध देने का अधिकार सुरक्षित है और इस मूल्य के अंतराल को चूककर्ता एजेंसी से वसूल किया जाएगा, जिसे प्रारंभिक अनुबंध प्रदान किया गया था और यह बोली लगाने वालों के लिए बाध्यकारी होगा।

- विदेश मंत्रालय अनुबंध को समाप्त कर सकता है यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार को पिछले अवसरों पर किसी भी सरकारी विभाग / संस्थानों / स्थानीय निकायों / नगर पालिकाओं / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा काली सूची में डाला गया है।

9. "कार्य सौंपने संबंधी पत्र" जारी करने की अधिसूचना:

- सफल बोलीदाता का निर्धारण/मूल्यांकन करने के बाद, विदेश मंत्रालय दो प्रतियों में एक कार्य सौंपने संबंधी पत्र (एलओए) जारी करेगा, जो सफल बोलीदाता द्वारा प्राप्त होने के सात (07) कार्य दिवसों के भीतर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत और हस्ताक्षरित करके विदेश मंत्रालय को एक प्रति लौटाएगा।

- **बोलीदाता को कार्य सौंपने संबंधी पत्र जारी करना इस करार का एक अभिन्न अंग होगा और यह ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।**

10. उद्धृत दरों की वैधता:

दरें/कीमतें अनुबंध की पूरी अवधि अर्थात एक वर्ष के दौरान स्थिर रहेंगी और इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।

11. अनुबंध की वैधता:

- अनुबंध, यदि प्रदान किया जाता है, तो यह सौंपे जाने की तिथि से एक वर्ष (01 वर्ष) की अवधि के लिए वैध होगा । विक्रेता द्वारा प्रदान की गई संतोषजनक सेवाओं के अधीन, समान शर्तों और समान दरों पर अनुबंध को **एक और वर्ष** की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है । अनुबंध के उल्लंघन के मामले में या न्यूनतम आवश्यकताओं/सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने की स्थिति में, मंत्रालय को ठेकेदार द्वारा जमा की गई कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि को जब्त करने और प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने के अलावा, किसी भी समय अनुबंध को तुरंत समाप्त करने और मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर ठेकेदार को काली सूची में डालने का अधिकार होगा।

- अनुबंध की परिवीक्षा अवधि तीन माह की होगी। शेष **नौ माह** (09 माह) के ठेके की पुष्टि तभी की जाएगी जब परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और मदों की गुणवत्ता संतोषजनक पाई जाती है।

12. भुगतान का तरीका:

- ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि काउंटर सेल्स का भुगतान **नकद और ई- पेमेंट मोड (पेटीएम , फोनपे , यूपीआई, आदि) दोनों माध्यम से स्वीकार किया जाए।**

- विदेश मंत्रालय के आधिकारिक आतिथ्य बिलों के संबंध में ठेकेदार को भुगतान दो प्रतियों में प्रस्तुत रसीद के आधार पर जारी किया जाएगा, जो समय-समय पर लागू विभिन्न कानूनों, नियमों और विनियमों आदि के तहत दायित्वों की पूर्ति के अधीन और ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित कीमतों की प्राधिकरण द्वारा जांच के बाद जारी किए जाएंगे। । विदेश मंत्रालय के नामित प्राधिकारी द्वारा उचित प्राधिकरण के बिना खाद्य पदार्थों की किसी भी आपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा। भुगतान आरटीजीएस/एनईएफ़टी (बैंक हस्तांतरण) के माध्यम से किया जाएगा।

  - मौजूदा दरों पर लागू आयकर स्रोत पर काटा जाएगा।

  - ठेकेदार को मासिक आधार पर पिछले महीने प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान किया जाएगा । बिलिंग चक्र हर महीने की पहली तारीख से महीने के आखिरी दिन तक होगा। ठेकेदार को अगले महीने के 10 दिनों के भीतर सही बिल जमा करना होगा ।

  - यदि किसी बिल या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रश्न, आपत्ति, विलंब या विवाद के कारण विलंब से भुगतान होता है तो ठेकेदार इसके लिए किसी ब्याज का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

  - कार्य प्रदान करने के आदेश के आधार पर किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा और न ही किसी ऋण की सिफारिश की जाएगी।

  - मूल्य अनुसूची की कीमतों में जीएसटी और अन्य उपकर शामिल होंगे ।

13. अनुबंध की समाप्ति:

- इस अनुबंध को किसी भी पक्ष, अर्थात मंत्रालय या ठेकेदार द्वारा दूसरे पक्ष को तीन महीने का नोटिस, जिसे आपसी सहमति से वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने तक बढ़ाया जा सकता है, देने के बाद समाप्त किया जा सकता है। हालांकि यदि ठेकेदार अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो मंत्रालय के पास
बिना कोई नोटिस दिए इस अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। ऐसी स्थिति में मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा और बिना किसी आपत्ति या प्रतिरोध के ठेकेदार द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

- अनुबंध की समाप्ति पर, ठेकेदार मंत्रालय द्वारा आपूर्ति किए गए सभी उपकरण/फर्नीचर/वस्तुओं आदि को बेहतर कार्य स्थिति में मंत्रालय को वापस सौंप देगा।

- यदि सफल बोलीदाता, बोली वापस लेता है या सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन महीने की परिवीक्षा अवधि के दौरान संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं, तो मंत्रालय के पास बिना कोई नोटिस दिए इस अनुबंध को समाप्त करने और वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए उचित आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है।

14. विलंबित सेवाओं के लिए सुपुर्दगी और दंड:

- कंपनी द्वारा तैनात कर्मचारी परिसर में अपने कर्तव्यों को बेहतर ढंग से निभाएंगे और सरकारी संपत्ति को किसी भी नुकसान या क्षति से बचाने के लिए सभी सावधानी बरतेंगे। यदि कंपनी के कर्मचारियों की किसी लापरवाहीपूर्ण कार्रवाई या निष्क्रियता से अनुबंधित मद (वस्तुओं) को नुकसान पहुंचाये जाने की सूचना मिलती है तो किसी भी अन्य कार्रवाई के अलावा क्षतिग्रस्त वस्तु के बराबर की पूरी राशि कंपनी से, जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित समझा जाएगा, वसूल की जाएगी।

- यदि वे किसी निर्दिष्ट तिथि पर कैंटीन/पेंट्री सेवाएं प्रदान करने में विफल रहते हैं, तो ईएफ-कैंटीन अनुभाग को कम से कम एक सप्ताह पहले सूचित किया जाना चाहिए कि वे निर्दिष्ट तिथि पर कैंटीन/पेंट्री सेवाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे। यदि बोलीदाता किसी निर्दिष्ट तिथि पर किसी भी बैठक/सम्मेलन में सेवा करने में सक्षम नहीं होगा, तो आदेश लेने के समय ईएफ-कैंटीन अनुभाग को सूचित किया जाना चाहिए। केवल विषम परिस्थितियों में ही सूचना पर विचार किया जाएगा।

15. भ्रष्ट या जालसाजी पूर्ण आचरण:

- यह अपेक्षा की जाती है कि जो बोलीदाता इस निविदा के लिए बोली लगाना चाहते हैं, वे उच्चतम नैतिक मानक रखते हैं।

- मंत्रालय किसी बोली को अस्वीकार कर सकता है यदि ऐसा पता चलता है कि बोलीदाता यह अनुबंध लेने के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय भ्रष्ट या कपटपूर्ण परिपाटियों में लिप्त रहा है।

- मंत्रालय किसी बोलीदाता को अनिश्चित काल के लिए या निर्धारित अवधि के लिए अपात्र घोषित कर सकता है, यदि वह किसी भी समय यह पता चलता है कि बोलीदाता अनुबंध प्रदान करने के दौरान भ्रष्ट और कपटपूर्ण आचरण में लिप्त रहा है।

16. अनिवार्य बाध्यता:

- यदि इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में देरी या विफलता अप्रत्याशित घटना के कारण है तो मंत्रालय इस निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट शास्ति और वितरण आवश्यकताओं को शिथिल करने पर विचार कर सकता है।

- अप्रत्याशित घटना को इस प्रकार परिभाषित किया गया है जिसका उचित रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है जैसे प्राकृतिक आपदाएं, राज्यों का कार्य, युद्धों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणाम (घोषित या अघोषित), शत्रुता, राष्ट्रीय आपात स्थिति, नागरिक हंगामा और सफल बोलीदाताओं के परिसर पर हमले आदि। .

17. विवाद और मध्यस्थता का निपटारा:

- यदि इस करार के किसी प्रावधान की व्याख्या, प्रभाव और निहितार्थ के लिए पक्षकारों के बीच कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है, जिसमें किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष के विरुद्ध अधिकारों या देनदारियों या किसी भी दावे या मांग के लिए लेकिन ऐसे किसी भी मामले, निर्णय या निर्धारण को छोड़कर, जिसके लिए इस निविदा में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया

है, उस तारीख से 15 दिनों के भीतर (या ऐसी अवधि जिस पर पारस्परिक रूप से सहमति हो सकती है) एक पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसा विवाद या असहमति के लिए लिखित रूप में सूचित करता है तो 30 दिनों की अवधि के लिए इसे बातचीत के लिए संदर्भित किया जाता है जिसके बाद पक्षकार, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार विवाद को मध्यस्थता को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अनुसरण में प्रदान किया गया अनुबंध पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

- दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मध्यस्थ की नियुक्ति की जाएगी।
- मध्यस्थता का स्थान दिल्ली होगा।
- मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा केवल अंग्रेजी होगी।
- प्रत्येक पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही की अपनी लागत वहन करेगा और भुगतान करेगा जब तक मध्यस्थ अन्यथा निर्णय नहीं लेता है।
- इस खंड के प्रावधानों को खारिज, निरस्त या निष्क्रिय नहीं किया जाएगा, भले ही यह निविदा / अनुबंध समाप्त हो जाए या अस्तित्व में न रहे या समाप्त हो जाए या रद्द कर दिया जाए या गैरकानूनी घोषित कर दिया जाए।
- इस करार/निविदा से संबंधित सभी मामलों में जिसमें मध्यस्थता की कार्यवाही से संबंधित या उससे उत्पन्न कोई भी मामला शामिल है,नई दिल्ली के न्यायालयों को ही विशेष क्षेत्राधिकार होगा ।

18. विदेश मंत्रालय परिसर:

- कैंटीन/पेंट्री सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 09:00 बजे से शाम 05:30 बजे तक खुली रहेगी। तथापि, अत्यावश्यकताओं के आधार पर, ठेकेदार को मंत्रालय की आवश्यकता के अनुसार कैंटीन/पेंट्री को खुला या बंद रखना पड़ सकता है।
- कैंटीन/पेंट्री सेवा चलाने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा ठेकेदार को सौंपे जाने वाले परिसर का कब्जा हमेशा विदेश मंत्रालय के पास रहेगा, चाहे परिसर उपयोग में हो या नहीं। ठेकेदार अनुबंध समाप्त होने के तुरंत बाद परिसर खाली करेगा।

19. सामान्य/अन्य:

- किसी भी परिस्थिति में फर्म किसी भी उप-ठेकेदार को नियुक्त नहीं करेगी या अनुबंध को उप-पट्टे पर नहीं देगी। यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार ने इन शर्तों का उल्लंघन किया है, तो बिना किसी नोटिस के अनुबंध को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा और कार्य निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी।
- **बोलीदाता निविदा या बाद के चरण में विदेश मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए विवरण से बाध्य होंगे । यदि उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया ऐसा कोई भी दस्तावेज किसी भी स्तर पर झूठा पाया जाता है, तो इसे अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा, जिससे इस अनुबंध की समाप्ति के अलावा उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।**

22. बोलीदाता को पीडीएफ प्रारूप में जीईएम पोर्टल पर तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा करनी होगी।

तकनीकी बोली

बोली संख्या जीईएम/2022/B/2389408 दिनांक: 29/07/2022

कवर- I (तकनीकी बोली) (निम्नलिखित दस्तावेज .पीडीएफ प्रारूप में ऑनलाइन अपलोड किए **जाने हैं** प्रारूप)		
क्र. संख्या	**दस्तावेज़**	**फाइल का प्रकार**
1	संपर्क विवरण प्रपत्र **(फॉर्म-I)**	. पीडीएफ
2	निविदा दस्तावेज में उल्लिखित निर्धारित प्रारूप में बोली सुरक्षा घोषणा (खंड 12)	. पीडीएफ
3	निविदा दस्तावेज के खंड - 13 में शपथ पत्र की स्कैन की गई प्रति	. पीडीएफ
4	फर्म / कंपनी के पंजीकरण विवरण की प्रमाणित प्रतियां	.पीडीएफ
5	(i) पैन (ii) जीएसटी (iii) ईपीएफओ पंजीकरण (iv) ईएसआईसी पंजीकरण (v) एफएसएस अधिनियम, 2006 के तहत लाइसेंस (vi) एमएसएमई पंजीकरणकी प्रमाणित प्रतियां, जहां भी आवश्यक हो।	.पीडीएफ
6	पिछले तीन वर्षों के लिए आयकर रिटर्न।	.पीडीएफ
7	न्यूनतम अनुभव का प्रमाण (31.03.2022 तक न्यूनतम 03 वर्ष की अवधि)	.पीडीएफ
8	पूरे तीन वित्तीय वर्षों (और आकलन वर्ष नहीं) के लिए दाखिल वार्षिक लेखापरीक्षिततुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण और आयकर रिटर्न की प्रमाणित प्रतियां। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान खानपान सेवाओं में बोलीदाताओं का औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार 20,00,000/-रुपये से कम नहीं होना चाहिए।	.पीडीएफ
9	कंपनी लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित वित्तीय क्षमता प्रपत्र (प्रपत्र-II)	.पीडीएफ
10	विधिवत प्रमाणित निष्पादन प्रमाणन का प्रारूप (फॉर्म-III)	.पीडीएफ
11	पिछले अनुबंध का विवरण (फॉर्म - IV)	.पीडीएफ
12	चेक लिस्टफॉर्म (फॉर्म-V)	.पीडीएफ
13	किसी अन्य जानकारी के साथ कंपनी का संक्षिप्त प्रोफाइल	.पीडीएफ
14	पावर ऑफ अटॉर्नी/मुख्तारनामा	.पीडीएफ
15	निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करने वाले एक टोकन के रूप में सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षरित और मुहर लगा हुआ निविदा दस्तावेज।	.पीडीएफ

फर्म/कंपनी की मुहर सहित
बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
नाम: ___________________
दिनांक:___ _________________
मोबाइल संख्या ___________

फॉर्म और जांच सूची

फार्म-I

संपर्क विवरण प्रपत्र

बोलीदाता का सामान्य विवरण

1.	कंपनी का नाम	
2.	अधिकृत प्रतिनिधि का नाम और पद	
3.	संपर्क पता	
4.	टेलीफोन और मोबाइलनं.	
5.	फ़ैक्स नं	
6.	ईमेलआईडी	

बोलीदाता के प्रतिनिधि का विशेष विवरण

1.	संपर्क व्यक्ति का नाम	
2.	पद	
3.	संपर्क पता	
4.	टेलीफ़ोननं	
5.	मोबाइलनं	
6.	ईमेलआईडी	
7.	बैंक का नाम	
8.	शाखा का पता	
9.	खाता संख्या	
10.	आईएफएससीकोड	

बोलीदाता के हस्ताक्षर

फार्म- II

वित्तीय क्षमता प्रपत्र

फर्म का नाम:

फर्म का पता:

वित्तीय वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22
वार्षिक कारोबार (भारतीय रूपये में)			

फर्म/कंपनी की मुहर सहित
बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम: ___________________
दिनांक:___ _________________
मोबाइल संख्या ___________

टिप्पणी: इसे कंपनी लेखा परीक्षक द्वारा मुहर और हस्ताक्षर के साथ प्रमाणित किया जाना है।

फार्म- III

निष्पादन प्रमाणन के लिए प्रारूप

(नियोक्ता से उस प्रत्येक कार्य के लिए यह जानकारी प्रस्तुत करें जिसके लिए कार्य निष्पादित किया गया था)

1. अनुबंध का नाम और स्थान
2. अनुबंध संख्या

क अनुबंध का दायरा
ख अनुबंध लागत
ग प्रारंभ होने की तिथि
घउन लोगों की औसत संख्याजिन्हें प्रतिदिन परोसा गया
ड. अवधि
च.लगाए गए जुर्माने की राशि, यदि कोई हो तो
छकार्यनिष्पादनरिपोर्ट:
भोजन की गुणवत्ता और साधन संपन्नता - बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/औसत
ज. सभी वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन- हां / नहीं

(संगठन की मुहर) (जिम्मेदार प्राधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर)

दिनांक:

फार्म-IV

पिछले अनुबंधों का विवरण

अनुबंध की अवधि से तक	संदर्भ पत्रों के साथ संगठन का नाम और पता	संपर्क व्यक्ति का नाम और फोन नं.	अनुबंध का मूल्य और अन्य विवरण	टिप्पणियां

आपके द्वारा प्रदान की जा रही समान सेवाओं के वर्तमान अनुबंधों, यदि कोई हो तो, का विवरण प्रस्तुत करें और जिनका हमारे कार्मिकनिरीक्षण करेंगे :

अनुबंध की अवधि से तक	संदर्भ पत्रों के साथ संगठन का नाम और पता	संपर्क व्यक्ति का नाम और फोन नं.	अनुबंध का मूल्य और अन्य विवरण	टिप्पणियां

स्थान:

दिनांक: बोलीदाता की मुहर और हस्ताक्षर

फार्म-V

जांच सूची

क्रसं	विवरण	जी हां/नहीं
•	क्या आपने सभी फॉर्मभरेहैं और जमा किए हैं: i) फॉर्मI से V (ii) तकनीकी बोली (iii) वित्तीय बोली (iv) हलफनामा	
•	क्या आपने अनुबंध की विभिन्न शर्तों को पढ़ा और समझा है और क्या आप उनका पालन करेंगे ?	
	तकनीकी बोली	
•	क्या आपने निविदा दस्तावेज की धारा 12 में उल्लिखित निर्धारित प्रारूप में बोली सुरक्षा घोषणा की स्कैन की हुई प्रति संलग्न की है?	
4.	क्या आपने निम्नलिखित न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने का प्रमाण अपलोड किया है?	
4.1	कानूनी वैध संस्था : क्या आपने कंपनी/फर्म के पंजीकरण के लिए प्रमाणित प्रमाणपत्र अपलोड किया है?	
4.2.	वित्तीय क्षमता: क्या आपने आवश्यकतानुसार आयकर रिटर्न, लेखापरीक्षिततुलन पत्र और लाभ और हानि विवरण अपलोड किया ?	
4.3.	पंजीकरण लाइसेंस: क्या आपने प्रत्येक पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति अपलोड की है?	
4.4.	अनुभव: क्या आपने प्रमाणित अनुभव अपलोड किया है: संगठनों / सरकारी विभागों द्वारा पिछले 3 वर्षों में जारी किए गए प्रमाण पत्र?	
5.	क्या आपकी तकनीकी बोली निविदा की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार और अपलोड की गई है?	
	वित्तीय बोली	
6.	क्या आपका वित्तीय बोली प्रस्ताव विधिवत भरा हुआ है और निर्देशों के अनुसार अपलोड किया गया है?	
7.	क्या आपने प्रत्येक श्रेणी/वस्तु के लिए कीमतें उद्धृत की हैं?	
8.	क्या आपने वित्तीय बोली में दिए गए सभी घटकों के लिए लागत विवरण प्रस्तुत किया है?	
9.	क्या आपने प्रति-बोली साइटविज़िट/ब्रीफिंग में भाग लिया है?	

टिप्पणी: उपरोक्त को बोली के साथ भरा,हस्ताक्षरित और प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

फर्म/कंपनी की मुहर सहित
बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
नाम: ___________________
मोबाइल संख्या ____________
दिनांक:___ _________________

वित्तीय बोलियां

बोलीदाता द्वारा करों सहित दरें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एल1बोलीदाता का चयन कुल मेन्यू लागत के आधार पर किया जाएगा।

मेन्यू/वस्तुओं की सूची:

बैठकों/सम्मेलनों के लिए दरें

क्रसं	मदें	दर (प्रति व्यक्ति) भारतीय रूपये में (सभी करों सहित)
1.	चाय/कॉफी (125 एमएल)	
2.	चाय/कॉफी (125 एमएल)+ बिस्कुट/कुकीज (2 पीस)	
3.	चाय/कॉफी (125 एमएल)+ बिस्कुट/कुकीज (2 पीस),मिक्सड नट (भुने हुए काजू + भुने हुए बादाम - 30 ग्राम)	

आधिकारी/कर्मचारी के लिए कैंटीन/पेंट्रीसेवाओं की दरें (नाश्ता)

क्रसं	मदों के नाम	दर भारतीय रूपये में (सभी करों सहित)
	नाश्ता	
1	मक्खन के साथ बड़े आकार की ब्रेडस्लाइस (2पीसी)	
2	ब्रेडआमलेट (दो स्लाइस)	
3	पोहा (एक प्लेट)- (200 ग्राम)	
4	आलू भोंडा (70 ग्राम)	
5	ब्रेड पकोड़ा (एक टुकड़ा)	
6	सब्जी कचौड़ी (2 पीस)- 70 ग्राम	
7	पूरी सब्जी (4 पीस)- 80 ग्राम	

8	आलू पराठा (एक टुकड़ा)	
9	पनीर पराठा (एक टुकड़ा)	
10	प्याज पराठा (एक टुकड़ा)	
11	पाव भाजी (2 पीस)- 70 ग्राम	
12	सांभर और चटनी के साथ एक प्लेट इडली (2 टुकड़े)	
13	दाल वड़ा/ चना वड़ा (70 ग्राम)	
14	एक प्लेट उपमा सांभर और चटनी के साथ (200 ग्राम)	
15	सांभरवड़ा (2 टुकड़े-प्रत्येक वड़ा70 ग्राम)	
16	सांभर और चटनी के साथ डोसा (सादा)	
17	मसाला डोसा सांभर और चटनी के साथ	
18	छोले भटूरे (2 पीस) - (70 ग्राम)	
	दोपहर का भोजन	
19	साधारण लंच- थाली (बासमती चावल, रोटी (3 पीसी), दाल, सब्जी (मौसमी हरी सब्जी), सलाद, रायता/दही और मीठा)	
20.	डीलक्सलंच-थाली (बासमती चावल, रोटी (3 पीसी), दाल, सब्जी (मौसमी हरी सब्जी + पनीर आइटम), सलाद, रायता/दही और मिठाई/आइसक्रीम (वैकल्पिक), अचार	
21.	आधा प्लेट चावल (बासमती) पुलाव- (200 ग्राम)	
22.	फुल प्लेट चावल (बासमती) पुलाव- (400 ग्राम)	
23.	फ्राइडराइस (200 ग्राम)	
24.	एक रोटी (तवा) - (70 ग्राम)	
25.	एक रोटी (तंदूरी) - (400 ग्राम)	
26.	दाल (प्रति प्लेट)- (200 ग्राम)	
27	एक कटोरी राजमा- (200 ग्राम)	
28.	एक कटोरी कढ़ी पकोड़ा (2पीसीपकोड़े के साथ) - (200 ग्राम)	
29.	एक कटोरी मौसमी सब्जी- (200 ग्राम)	
30.	एक कटोरी आलू मटर- (200 ग्राम)	
31.	एक कटोरी बैंगन का भरता- (200 ग्राम)	

32.	एक कटोरी मिक्स सब्जी- (200 ग्राम)	
33.	एक कटोरी दही वड़ा (दो टुकड़े वड़े)- (200 ग्राम)	
34.	एक कटोरी पनीर की कोई भी वस्तु- (200 ग्राम)	
35.	एक कटोरी पालक पनीर - (200 ग्राम)	
36.	एक कटोरी न्यूट्री पनीर - (200 ग्राम)	
37.	अंडा करी (दो अंडे का टुकड़ा)	
38.	चिकन करी (दो लेग पीस)	
	शाम का नाश्ता	
39.	मिक्स पकोड़ा (80 ग्राम)	
40.	फ्रेंचफ्राइज़ (150 ग्राम)	
41.	हरा भरा कबाब (4 पीस)	
42.	बन टिक्की (60 ग्राम)	
	हर समय उपलब्ध होने वाली मदें	
43.	समोसा (70 ग्राम)	
44.	शाकाहारी पैटीज़ (1 टुकड़ा)	
45.	पनीर पैटी (1 पीस)	
46.	एक प्लेट मैगी (200 ग्राम)	
47.	ढोकला (1 पीस- 70 ग्राम)	
48.	सूप (200 मिली)	
49.	फ्रूटकस्टर्ड (200 मिली)	
	पेय पदार्थ	
50.	चाय (125 मिली)	

51.	कॉफी (125 मिली)	
52.	लस्सी (450 मिली)	
53.	फलों का रस टेट्रापैक (200 मिली)	
मीठा		
54.	एक टुकड़ा गुलाब जामुन- (60 ग्राम)	
55.	एक पीस रसगुल्ला- (60 ग्राम)	
56.	एक पीस बर्फी- (60 ग्राम)	
57.	एक टुकड़ा रस मलाई (70 ग्राम)	
58.	बेसन के लड्डू (70 ग्राम)	

फर्म/कंपनी की मुहर सहित
बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम: ____________________
मोबाइल संख्या ____________
दिनांक:___ _________________

No: Q/EF-Canteen/551/06/2022
Government of India
Ministry of External Affairs
(Establishment Division)
EF-Canteen Section

BID No. GEM/2022/B/2389408 **Dated: 29th July, 2022**

Section – 6

Service Level Agreement (SLA)

सत्यमेव जयते
Government of India

SERVICE AGREEMENT FOR PROVIDING CANTEEN/PANTRY SERVICES IN MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

This Agreement is made in New Delhi on this ___________________ day of ___________.

BETWEEN

The President of India, represented by the Ministry of External Affairs (hereinafter referred to as "MEA or Ministry", having its office at 23 D, Janpath, New Delhi – 110011.

AND

M/s. _______, a company firm registered in ________, acting through Mr./Mrs. ________ who is duly authorized to sign and execute this Agreement on behalf of the company, through resolution of the Board of Directors/owners of the company,(hereinafter referred to as "caterer/contractor or Service Provider").

The terms and conditions mentioned hereinafter, it is hereby confirmed as having been agreed to between the respective parties as under:

1. **Ministry of External Affairs (MEA)** needs a caterer for providing canteen/pantry services in MEA as per the Tender Notice No. Q/EF-Canteen/551/06/2022 dated ______**.** It is thought desirable to grant a contract (not being lease) for providing catering services for MEA's officials in the cafeteria and the Meeting/Conference Rooms.

2. That the possession of the premises will always be with the MEA, even when the premises are in use or occupied by the contractor.

3. That the Contractor/Caterer shall pay the expenses of the stamp duty for execution of this Agreement.

4. **That the Caterer has been granted the contract:**

- **i.** to provide Canteen services in the premises of Jawaharlal Nehru Bhawan (JNB), South Block, Ministry of External Affairs, New Delhi;
- **ii.** to provide Pantry Services in Shastri Bhawan and Akbar Bhawan, New Delhi ;

iii. to serve tea/coffee and snacks (refreshments) etc. during meetings/conferences in Jawaharlal Nehru Bhawan, South Block, Akbar Bhawan and Shastri Bhawan(if required);

5. The agreed rates are as mentioned in **Annexure I**. **The Under Secretary (SP & Canteen) hold the right to add or delete any food and drink items on mutually agreed rates.**

6. That the Contractor cannot make any alteration in rates without the prior approval of the competent authority of Ministry of External Affairs.

VALIDITY OF THE CONTRACT:

7. In order to evaluate the performance and services of the contractor, the contract will have **a probationary period of three months.** The contract for the remaining **09 months** will be **confirmed only if the services and quality of items served by the contractor are found satisfactory during the probation period.** If the contract is not confirmed, the contract is deemed to be **terminated.**

8. Subject to the Clause 4(i), the contract will be valid initially for a period of one year **w.e.f. _____ on the terms & conditions contained in the Tender Document, MEA's Letter of Award of the Contract and this agreement read together**. If during this period, the performance is found satisfactory, "the contract may be renewed on the same terms, conditions and rates, for a maximum extension of one more year (solely at the discretion of the MEA)." The contract is also terminable during the currency of the contract if the services are found to be less than satisfactory.

9. In case of breach of contract or in the event of not fulfilling the minimum requirements/statutory requirements, the Ministry shall have the right at any time to terminate the contract forthwith in addition to forfeiting the Performance Security amount deposited by the contractor and initiating administrative actions for blacklisting, etc. solely at the discretion of the competent authority of the office of Ministry.

PERFORMANCE SECURITY DEPOSIT (PSD):

10. The contractor has to deposit Performance Security Deposit at "3% of the contract value" in favor of "Pay & Accounts Officer, Ministry of External Affairs, New Delhi" payable at New Delhi in the form of Bank Guarantee/Demand Draft/Fixed Deposit Receipt (in original), at the time of the acceptance of the LoA.

11. PSD should remain valid for a period of Sixty (60) days beyond the date of the completion of all contractual contractual obligations of the service provider. In case, the contract is further extended beyond the initial period, the PSD will have to be accordingly renewed by the successful bidder. No interest shall be paid on PSD.

12. If the contractor fails to provide the PSD at the time of the acceptance of LoA, such failure shall constitute a breach of the contract and the Ministry shall be entitled to make other arrangements at the risk, cost and expense of the contractor.

13. On due performance and completion of the contract in all respects, the PSD will be returned to the contractor without any interest on presentation of an absolute "No Demand Certificate" from the contractor and upon return in good condition of any specifications, samples or other property belonging to Ministry, which may have been issued to the Contractor, for carrying out work stipulated in the contract.

14. The PSD will be forfeited by the order of the Competent Authority in the Ministry in the event of any breach or negligence or non-observance of any terms & conditions of the contract or for unsatisfactory performanceor for non-acceptance of the work order. On expiry of the contract, portion of the said PSD as may be considered by the Ministry sufficient to cover any incorrect or excess payments made on the bills to the firm, shall be retained until the final audit report on the account of Companies bill has been received and examined.

15. If the contract is terminated by the contractor without giving stipulated period of notice or fails to observe the terms & conditions of the Tender, Letter of Award of Contract and the Agreement, the PSD will be forfeited.

COOKING GAS, EQUIPMENT, WATER AND ELECTRICITY:

16. **South Block:** The caterer will be required to procure gas refills in sufficient quantity for cooking purposes at his own cost. The equipment, furniture/fixtures will be provided to the contractor in good working condition as per the list below:

List of kitchen equipment, furniture items etc. available in MEA Canteen South Block

Sl. No.	Items
1	RO System
2	Ice Cream Display Cabinet
3	Loading and Unloading tables
4	Hot Plate with Chapattis
5	Sink 1 Unit
6	Display Counter
7	Stoves- 6
8	Refrigerator – 2
9	Table – 1
10	Revolving Chair - 1

All other necessary equipment will be arranged by the contractor. The contractor will be responsible for any loss/theft of the gas cylinders and other equipment.

17. **Jawaharlal Nehru Bhawan**: The Piped Natural Gas is already installed in the kitchen premises. The Contractor may use it with a condition to pay the Gas bill on time as per the actual consumption directly to IGL. The contractor will have to arrange all the equipment, furniture/fixtures, utensils and crockery, livery for canteen staff etc. by himself/herself. The contractor will be responsible for upkeep and maintenance of all the equipment either of MEA or their own and for any loss/theft.

18. **Akbar Bhawan &Shastri Bhawan:** Only electrical equipment will be allowed and the contractor will have to arrange their own equipment as per the requirement. The contractor will be responsible for any loss/theft.

19. **Water and Electricity:** MEA will provide free electricity and water to the contractor.

20. That in case of any damage to the furniture and equipment by any person, they will immediately inform in writing to the concerned authorities of the MEA for recovery of such losses/damage from the defaulters, failing which the caterer shall himself be liable to pay the cost as decided by the MEA.

21. Equipment, furniture and fixtures will be used carefully and cautiously. The repairs up to the cost of Rs. 5000/- (for equipment either provided by MEA or their own) will have to be get done by the Contractor at his own cost. Any repair above Rs. 5000/- of government owned equipment will be taken care by the MEA.

GENERAL CONDITIONS TO THE CONTRACTOR:

22. The Contractor shall assign personnel of appropriate training and experience to perform and fulfill its obligations under this Agreement. The Contractor shall take commercially reasonable steps to ensure that staff members performing services under this Agreement are trained and suitable to perform such Services. The Contractor is obliged to replace, without unreasonable delay and at no cost to Ministry, any personnel whom the Ministry considers lacking the necessary competence or with whom Ministry finds it difficult to collaborate.

23. That the caterer has agreed to provide sufficient number of cooks, waiters and other trained support staff in the kitchen and dining hall and shall take all reasonable precautions to ensure that these workers attire themselves properly while on duty and are civil, polite, sober and honest in their dealings with the MEA's officials. They will deploy only those workers whose antecedents have been verified by the police and are medically fit in all respects.

24. All workmen of the Contractor must have valid photo ID pass issued by MEA to be displayed at all times during duty hours.

25. The Contractor hereto undertakes to indemnify the Ministry against all claims, losses, damages, liabilities or expenses (including legal fees) that may be incurred arising out of the agreement or filed by the workers/employees of the Contractor against loss or damage caused and legal complications liabilities which may arise on account of failure of Contractor to perform its obligations to observe the rules & regulations & other provisions of law applicable to the conduct of the business by the Service Provider. **The Contractor will be solely and exclusively responsible for payment of salaries/wages and other monetary, non-monetary benefits attached to the contract of employment the workers have with the Contractor.**

26. All correspondence, notice shall only be in writing, duly signed by the authorized representative of the parties and shall be served vide Registered mail/ speed Post/by hand / courier only at the address mentioned in this Agreement or the last address known to the parties.

27. That the caterer will use either Delhi Milk Scheme or Mother Dairy milk. In case he is unable to maintain supplies of Delhi Milk Scheme or Mother Dairy for any reasons, he should arrange to procure from other sources supplying good quality milk. The security deposit to DMS/Mother Dairy, if any, will be paid by the caterer himself.

28. That the caterer shall not make any additions or alterations in the premises allotted to him for providing canteen/pantry services.

29. That the caterer has agreed to keep the premises and its surrounding area neat, clean and tidy at all times and according to the Health/Hygienic condition bye-laws of the New Delhi Municipal Corporation (NDMC) or any other government/statutory body. In the event of violation of any of the aforesaid bye-laws in and around the Canteen Kitchen/cooking area or dining hall, the caterer shall be responsible for any penalty/fine imposed by the concerned authorities.

30. That in the event of NDMC, Health Department or any other government/statutory body authorities taking samples of raw material used by the caterer and those samples are not found fit/up to the mark for human consumption, the caterer shall be fully responsible for any fine/penalty imposed or legal recourse taken by such authorities.

31. That any employee deployed by the Caterer in the premises becomes liable for removal due to his actions, disobedience or misconduct. The caterer shall accept the decision of the MEA as final and abide by such decision. Such an event, the MEA shall not in any way be liable for any claim made by the concerned employee of the caterer for wages or damages and the caterer shall keep the MEA's authorities indemnified.

32. That the Caterer will maintain a Suggestion Book for recording suggestions for improvement of Canteen Services. Such suggestions, as approved by the MEA's authorities, will forthwith be acted upon. The suggestion book will be kept open for inspection by the MEA's designated authorities.

33. That the contractor shall be solely responsible either for any injury, damage, accident to the workman employed by the contractor or for any loss or damage to the equipment/property in the areas of work as a result of negligence/carelessness of its workers.

34. Storing/supply/sale and consumption of drugs, alcoholic drinks, cigarettes or any other items of intoxication are strictly prohibited in the MEA's premises, including Canteen/pantry. Any breach of such restrictions by the Canteen Contractor will attract deterrent action against the Contractor as per statutory norms.

35. That the items served by the Caterer shall be wholesome and hygienic prepared in the clean atmosphere. The **Under Secretary, Establishment Division of the MEA and/or their authorized nominees** may at any time enter the kitchen area allotted to the caterer for the purpose of this contract and take away samples of raw material, semi-prepared or fully prepared eatable items free of cost for the purpose of inspection, trial or analysis, and the decision of the authorities of the MEA with regard to the desirability or quality of the food articles offered for consumption shall be final. If any item of the menu/provision of food is found defective or not fit for use/consumption, the MEA's authorities may –

a) Issue warning; and / or

b) Get the said raw material/items destroyed and ask the Caterer to purchase fresh stocks, without any payment of compensation to the Contractor for the discarded material/items. If, however, this problem recurs in spite of warning having been issued, MEA reserves the right to impose financial penalty as decided by the MEA's authorities or the contract may be canceled without giving any notice.

36. OTHER OBLIGATIONS OF THE CONTRACTOR

i. Care must be taken to ensure that, while carrying out the work, no fittings, fixtures, furnishings, equipment provided by the MEA are damaged. Any damages done to the same or any other property will have to be repaired / replaced by the Contractor, failing which the same will be got done by MEA at the contractor's risk and cost. In this regard, the decision of the designated officer of MEA shall be final and binding on the Contractor.

ii. All work shall be carried out with due regard to the convenience of MEA. The orders of the concerned authority shall be strictly observed.

iii. The Contractor will deploy adequate manpower for work during late hours and on Saturdays/Sundays, including other holidays, according to the requirement of MEA and the guests.

iv. The Contractor will have to supply breakfast/lunch/dinner in the canteen at MEA premises as per requirement and schedule drawn for the purpose by the concerned authorities of the MEA.

v. Storing/supply/sale and consumption of drugs, alcoholic drinks, cigarettes or any other items of intoxication are strictly prohibited in the MEA's premises, including Canteen/pantry. Any breach of such restrictions by the Canteen Contractor will attract deterrent action against the Contractor as per statutory norms.

vi. The workers employed by the Contractor shall be directly under the supervision, control and employment of the Contractor and they shall have no connection what-so-ever with Ministry of External Affairs. Ministry of External Affairs shall have no obligation to control/supervise such workers or to take any action against them except as permissible under the law. In case of any untoward incident/fire/death/injury of any employee of canteen/pantry, MEA will not be liable to pay any damages.

vii. The Contractor shall ensure that either he/she himself/herself or his/ her representative is available for proper administration and supervision at the works to the entire satisfaction of the MEA.

viii. The Contractor will bring his own tools, cookers, hot boxes, steam boxes, trolleys, equipment, utensils, plates, jugs etc., in sufficient quantity as needed to maintain the canteen/pantry services in addition to what is provided for by MEA.

ix. The Contractor shall not use the canteen premises for any other activity except for the purpose for which it has been provided for.

37. SPECIAL CONDITIONS

i. INDEMNIFICATION:

The successful bidder is solely liable to fully indemnify and keep the Ministry indemnified against all losses/penalties/awards/decrees arising out of litigation/claims/application initiated against the Ministry on account of acts of omission/commission attributable to the contractor and which are punishable under the provisions of various Central Labor and Employment Acts including the following Acts as amended from time to time. The Ministry shall be vested with sole discretion to determine damages / loss suffered on account of above from the dues payable from Performance Security Deposit as Performance Guarantee or from the personal property of bidder or property owned by his firm/company by way of initiating suitable legal litigation against the contractor at any point of time. The contractor shall be liable for any legal dispute / case / claims that arises or may arise during currency of the contract due to non-compliance of labor or other related laws.

ii. OFFICIAL RECORDS:

The contractor shall maintain a personnel file in respect of all the staff, who is deployed in Ministry's Office. The personnel file shall invariably consist of personal details such as name, address, date of birth, sex, residential address (Temporary / Permanent) and all grievances recorded by the staff vis-a-vis action taken etc.

38. CODE OF CONDUCT:

The Contractor shall strictly observe that his/her personnel:

- **i.** Are always smartly turned out and vigilant.
- **ii.** Are punctual and arrive at least 15 minutes before start of their duty time.
- **iii.** Take charge of their duties properly and thoroughly.
- **iv.** Perform their duties with honesty and sincerity.
- v. Extend courtesy to all Officials of the Ministry.
- **vi.** Shall not drink liquor on duty, or come drunk and report for duty.
- **vii.** Will not gossip or chit chat while on duty.
- **viii.** Will never sleep while on duty.
- **ix.** Will immediately report if any untoward incident / misconduct or misbehavior occurs, to the Ministry.
- **x.** When in doubt, approach concerned person immediately.
- **xi.** Get themselves checked by security personnel whenever they go out.
- **xii.** Shall not smoke or use gutka/pan etc. in the office premises.

39. MODE OF PAYMENT:

- i. The Contractor shall be paid on a monthly basis for the services rendered in the preceding month. The billing cycle will be the 1st of every month to the last day of

the month. The Contractor shall submit correct invoices (in physical) within 10 days of the succeeding month.

ii. If due to any query, objection, delay or dispute with regard to any bill or a part thereof, the contractor will not be entitled to claim any interest for late payment.

iii. No payment shall be made in advance and the Price Schedule shall be inclusive of GST and other cess.

iv. Income Tax may be deducted at source as per rules by MEA while making the payment

40. PENALTIES:

i. The contractor shall supply fresh sets of uniforms/badges, identity cards, shoes to all personnel who shall wear the same while on work and also keep their uniform neat and clean. If any employee (including Manager and Supervisor) is found without uniform, penalty @ Rs.100/- per person per day shall be recovered from contractor's bill.

ii. The contractor has to pay penalty of Rs. 5000/- per day for not providing canteen/pantry services in any designated date.

iii. The contractor has to pay penalty of Rs. 500/- per day per item if they sells any item without Ministry's prior permission.

41. MEA will have the right to review the working of this Contract from time to time and if at any time it is found that the caterer has not fulfilled any of the conditions of this contract or that his working is unsatisfactory, MEA may terminate the contract after giving the caterer one-month notice in advance.

42. The tender document/Bid on GeM Portal, The Technical and Financial Bids and the Letter of Award of Contract shall form an integral part of this Agreement.

43. SETTLEMENT OF DISPUTES AND ARBITRATION:

i. If any dispute or difference arises between the parties hereto as to the interpretation, effect and implication of any provision of this agreement, including the rights or liabilities or any claim or demand of any party against other or in regard to any other matter under these presents but excluding any matters, decisions or determination of which is expressly provided for in this tender, shall within 15 days (or such longer period as may be mutually agreed upon) from the date one party informs the other in writing that such dispute or disputes or disagreement exists, be referred to negotiations for a period of 30 days after which parties can submit the dispute to arbitration in accordance with the Arbitration and Conciliation Act 1996 and the rules framed there under for the time being in force. The award made in pursuance thereof shall of binding on the parties.

ii. The sole arbitrator shall be appointed by the mutual consent of both Parties.

iii. The venue and seat of the Arbitration shall be at Delhi.

iv. The language of arbitration proceedings will be English only.

v. Each party shall bear and pay its own cost of the arbitration proceedings unless the Arbitrator otherwise decides in the Award.

vi. The provisions of this Clause shall not be frustrated, abrogated or become inoperative, notwithstanding this tender/agreement expires or ceases to exist or is terminated or revoked or declared unlawful.

vii. The Courts at New Delhi shall have exclusive jurisdiction in all matters, concerning this Agreement/tender including any matter related to or arising out of the arbitration proceedings.

44. AMENDMENTS TO THE CONTRACT

This Agreement may be amended or modified with the consent of both the parties in writing signed by the authorized representatives of the respective parties. No variation in or modification of the terms of the Contract shall be made except by written amendment signed by both the parties i.e. the contractor and Ministry.

45. That all the terms and conditions of the Tender Notice number _____dated _____ inviting bids, will be an integral part of the agreement.

IN WITNESS WHEREOF the parties have signed this Agreement on the day, month and year as mentioned above in presence of witnesses and in presence of each other.

Signed on behalf of the Contractor

Signed for and
on behalf of
The President of India

(Authorized Signatory)

(Authorized Signatory)
(Ministry of External Affairs)

****

सं: क्यू/ईएफ-कैंटीन/551/06/2022
भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
(स्थापना प्रभाग)
ईएफ-कैंटीन अनुभाग

बोली संख्या: जीईएम/2022/बी/2389408 **दिनांक: 29 जुलाई, 2022**

खंड - 6

सर्विस लेवलएग्रीमेंट (एसएलए)

सत्यमेव जयते
Government of India

विदेश मंत्रालय में कैंटीन/पेंट्री सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा अनुबंध

यह समझौता नई दिल्ली में __________ के __________ दिन

भारत के राष्ट्रपति, विदेश मंत्रालय द्वारा प्रतिनिधित्व (जिसे इसके बाद "विदेश मंत्रालय या मंत्रालय" कहा गया), जिसका कार्यालय 23डी, जनपथ, नई दिल्ली - 110011 में है।

और

मैसर्स______, ________ में पंजीकृत एक कंपनी फर्म, श्री/श्रीमती ________के माध्यम से कार्य करती है जो कंपनी के निदेशक मंडल/मालिकों(इसके बाद इसे"कैटरर/ठेकेदार या सेवा प्रदाता" कहा गया)के संकल्प के माध्यम से, कंपनी की ओर से इस करार पर हस्ताक्षर करने और इसे निष्पादित करने के लिए विधिवत रूप से अधिकृत हैं।

के बीच किया गया।

इसके बाद उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती हैं कि इन पर संबंधित पक्षों के बीच निम्नानुसार सहमति हुई है:

1. विदेश मंत्रालय (एमईए) को दिनांक ______ की निविदा सूचना संख्या क्यू/ईएफ-कैंटीन/551/06/2022 के अनुसार विदेश मंत्रालय में कैंटीन/पेंट्री सेवाएं प्रदान करने के लिए एक कैटरर की आवश्यकता है। कैफेटेरिया और बैठक/सम्मेलन कक्षों में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के लिए खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए एक संविदा (पट्टा के रूप में नहीं) देना वांछनीय है।

2. परिसर पर सदैव विदेश मंत्रालय का अधिग्रहण होगा, भले ही परिसर उपयोग में हो या ठेकेदार के अधिग्रहण में हो।

3. इस करार के निष्पादन के लिए स्टाम्प शुल्क के व्यय का भुगतान ठेकेदार/कैटरर करेगा।

4. केटरर को ठेका निम्नलिखित के लिए दिया गया है:

- जवाहरलाल नेहरू भवन (जेएनबी), साउथ ब्लॉक, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के परिसर में कैंटीन सेवाएं प्रदान करना;
- शास्त्री भवन और अकबर भवन, नई दिल्ली में पेंट्री सेवाएं प्रदान करना;
- जवाहरलाल नेहरू भवन, साउथ ब्लॉक, अकबर भवन और शास्त्री भवन (यदि आवश्यक हो तो) में बैठकों / सम्मेलनों के दौरान चाय / कॉफी और नाश्ता (जलपान) आदि परोसना;

5. सहमत दरों का उल्लेख अनुबंध I में किया गया है। अवर सचिव (एसपी और कैंटीन) के पास पारस्परिक रूप से सहमत दरों पर किसी भी खाद्य और पेय पदार्थ को जोड़ने या हटाने का अधिकार होगा।

6. ठेकेदार विदेश मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना दरों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है।

अनुबंध की वैधता:

7.ठेकेदार के कार्य-निष्पादन और सेवाओं का मूल्यांकन करने के लिए, अनुबंध में **तीन माह की परिवीक्षा अवधि** होगी। **शेष 09 माह के अनुबंध की पुष्टि ठेकेदार द्वारा परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रदान की जाने वाली सेवाओं एवं मदों की गुणवत्ता संतोषजनक पाए जाने पर की जाएगी।** यदि अनुबंध की पुष्टि नहीं की जाती है, तो अनुबंध को **समाप्त** माना जाएगा।

8. यह अनुबंध,खंड 4(i) के अध्यधीन, निविदा दस्तावेज,विदेश मंत्रालय के अनुबंध देने संबंधी पत्र और इस समझौते में दी गई निबंधन एवं शर्तों पर ....से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रारंभिक रूप से वैध होगा। यदि इस अवधि के दौरान, कार्य निष्पादन संतोषजनक पाया जाता है, तो "अनुबंध को एक और वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए (केवल विदेश मंत्रालय के विवेक पर) समान नियमों, शर्तों और दरों पर नवीनीकृत किया जा सकता है।"किसी भी रूप में सेवाओं के संतोषजनक न पाए जाने पर अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

9. अनुबंध के उल्लंघन के मामले में या न्यूनतम आवश्यकताओं/सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा न करने की स्थिति में, मंत्रालय के पास ठेकेदार द्वारा जमा की गई **कार्य निष्पादन सुरक्षा जमा** राशि को जब्त करने के अतिरिक्त किसी भी समय तुरंत अनुबंध को समाप्त करने और केवल मंत्रालय के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर ठेकेदार को काली सूची में डालने आदि के लिए प्रशासनिक कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

कार्य निष्पादन सुरक्षा जमा (पीएसडी):

10. ठेकेदार कोएलओए की स्वीकृति के समय बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट/सावधि जमा रसीद (मूल रूप में) के रूप में नई दिल्ली में देय "वेतन और लेखा अधिकारी, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली" के पक्ष में "अनुबंध मूल्य का 3%" **कार्य निष्पादन सुरक्षा जमा** कराना होगा।

11. पीएसडी सेवा प्रदाता के सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तारीख से साठ (60) दिनों की अवधि के लिए वैध रहना चाहिए। यदि अनुबंध को प्रारंभिक अवधि से आगे बढ़ाया जाता है, तो सफल बोलीदाता द्वारा पीएसडी को तदनुसार नवीकृत किया जाएगा। पीएसडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

12. यदि ठेकेदार एलओए की स्वीकृति के समय पीएसडी प्रदान करने में विफल रहता है, तो ऐसी विफलता अनुबंध का उल्लंघन मानी जाएगी और मंत्रालय ठेकेदार के जोखिम, लागत और खर्च पर अन्य व्यवस्था करने का हकदार होगा।

13. मंत्रालय से संबंधित किसी भी विशिष्टताओं, नमूनों या अन्य संपत्ति को सही स्थिति में वापस लौटाने पर, जो अनुबंध में निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए ठेकेदार को जारी किया गया होगा और उचित प्रदर्शन तथा सभी तरह से अनुबंध के पूरा होने पर, ठेकेदार से एक पूर्ण "नो डिमांड सर्टिफिकेट" की प्रस्तुति पर पीएसडी बिना किसी ब्याज के ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी। ।

14. किसी भी उल्लंघन या लापरवाही या अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों का पालन न करने या असंतोषजनक प्रदर्शन या कार्य आदेश को अस्वीकार करने की स्थिति में मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा पीएसडी को जब्त कर लिया जाएगा। अनुबंध की समाप्ति पर, उक्त पीएसडी का एक हिस्सा मंत्रालय द्वारा फर्म को बिलों पर किए गए किसी भी गलत या अतिरिक्त भुगतान को कवर करने के लिए पर्याप्त होगा एवं उसे तब तक रखा जाएगा जब तक कि कंपनी बिल के खाते पर अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती और उसकी जांच नहीं हो जाती।

15. यदि ठेकेदार द्वारा अनुबंध को नोटिस की निर्धारित अवधि दिए बिना समाप्त कर दिया जाता है या निविदा के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, अनुबंध सौंपने संबंधी पत्र और करार, पीएसडी को जब्त कर लिया जाएगा।

रसोई गैस, उपकरण, पानी और बिजली:

16. **साउथ ब्लॉक:** कैटरर को अपने खर्च पर खाना पकाने के लिए पर्याप्त मात्रा में गैस रिफिल खरीदनी होगी। ठेकेदार को नीचे दी गई सूची के अनुसार उपकरण, फर्नीचर / फिक्स्चर सही काम करने की स्थिति में उपलब्ध कराए जाएंगे:

विदेश मंत्रालय कैंटीन, साउथ ब्लॉक में उपलब्ध रसोई के उपकरण, फर्नीचर की वस्तुओं आदि की सूची

क्रम संख्या	**सामान**

1 आरओ सिस्टम
2 आइसक्रीम डिस्प्ले कैबिनेट
3 लोडिंग और अनलोडिंग टेबल
4 चपाती के साथ गरम थाली
5 सिंक 1 यूनिट
6 डिस्प्ले काउंटर
7 स्टोव- 6
8 रेफ्रिजरेटर - 2
9 टेबल-1
10 रिवॉल्विंग चेयर - 1

अन्य आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जाएगी। गैस सिलिंडर और अन्य उपकरणों के किसी भी नुकसान/चोरी के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा।

17. जवाहरलाल नेहरू भवन: पाइप्ड प्राकृतिक गैस रसोई परिसर में पहले से ही स्थापित है। ठेकेदार इसका उपयोग वास्तविक खपत के अनुसार गैस बिल का भुगतान सीधे आईजीएल को समय पर करने की शर्त के साथ कर सकता है। ठेकेदार को सभी उपकरण, फर्नीचर / फिक्स्चर, बर्तन और क्रॉकरी, कैंटीन स्टाफ के लिए कपड़े आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ठेकेदार या तो विदेश मंत्रालय के या अपने स्वयं के सभी उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत के लिए तथा किसी भी नुकसान / चोरी के लिए जिम्मेदार होगा।

18. **अकबर भवन और शास्त्री भवन:** केवल विद्युत उपकरण की अनुमति होगी और ठेकेदार को आवश्यकता के अनुसार अपने उपकरणों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। किसी भी प्रकार की हानि/चोरी के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

19. **पानी और बिजली:** विदेश मंत्रालय ठेकेदार को मुफ्त बिजली और पानी मुहैया कराएगा।

20. किसी भी व्यक्ति द्वारा फर्नीचर और उपकरण को किसी भी तरह की क्षति के मामले में, वे चूककर्ताओं से इस तरह के नुकसान/क्षति की वसूली के लिए विदेश मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों को तुरंत लिखित रूप में सूचित करेंगे, ऐसा न करने पर कैटरर स्वयं विदेश मंत्रालय द्वारा तय की गई लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।।

21. उपकरण, फर्नीचर और फिक्स्चर का उपयोग सावधानीपूर्वक और सतर्कता से किया जाएगा। 5000/- (विदेश मंत्रालय या उनके स्वयं द्वारा प्रदान किए गए उपकरणों के लिए) रुपये की लागत तक की मरम्मत ठेकेदार द्वारा की जाएगी। सरकारी स्वामित्व वाले 5000/- रुपये से ऊपर की उपकरणों की कोई भी मरम्मत एवं देखभाल विदेश मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

ठेकेदार के लिए सामान्य शर्तें:

22. ठेकेदार इस करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और अनुभव के कर्मियों को नियुक्त करेगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक रूप से उचित कदम उठाएगा कि इस करार के तहत सेवाएं देने वाले स्टाफ सदस्य प्रशिक्षित हैं और ऐसी सेवाओं को करने के लिए उपयुक्त हैं। ठेकेदार बिना किसी अनुचित देरी के ऐसे कार्मिक को बदलने के लिए बाध्य होगा, जिसे मंत्रालय अयोग्य पाता है और जिसके साथ मंत्रालय को सहयोग करना मुश्किल लगता है।

23. कैटरर किचन और डाइनिंग हॉल में पर्याप्त संख्या में रसोइया, वेटर और अन्य प्रशिक्षित सहायक स्टाफ उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त करता है और उचित सावधानी रखते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि ये कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अपना पहनावा ठीक रखें और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ उनका व्यवहार सभ्य, विनम्र, शांत और ईमानदार हो। वे केवल उन्हीं कामगारों को तैनात करेंगे जिनके पिछले ब्यौरे पुलिस द्वारा सत्यापित किए गए हैं और पूरी तरह चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ हैं।

24. ठेकेदार के सभी कामगारों के पास विदेश मंत्रालय द्वारा जारी वैध फोटो आईडी पास होना चाहिए जो ड्यूटी के घंटों के दौरान हर समय प्रदर्शित होना चाहिए।

25. ठेकेदार इस करार के कारण अथवाकिसी भी प्रकार के नुकसान या क्षति के कारण ठेकेदार के कामगारों/कर्मचारियों द्वारा मामला दायर करने से उत्पन्न सभी प्रकार के दावों, नुकसानों, क्षतियों, देनदारियों या खर्चों (कानूनी शुल्क सहित) अथवा सेवा प्रदाता द्वारा व्यवसाय के संचालन के लिए लागू नियमों और विनियमों और कानून के अन्य प्रावधानों का पालन करने के लिए अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए ठेकेदार की विफलता के कारण उत्पन्न होने वाली हानि या क्षति के लिए मंत्रालय को क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। **ठेकेदार के पास नियुक्त श्रमिकों के रोजगाेर अनुबंध से जुड़े वेतन/मजदूरी और अन्य मौद्रिक, गैर-मौद्रिक लाभों के भुगतान के लिए ठेकेदार पूरी तरह से और विशेष रूप से जिम्मेदार होगा।**

26. सभी पत्राचार, नोटिस केवल लिखित में होंगे, पार्टियों के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और पंजीकृत मेल / स्पीड पोस्ट / हाथ / कूरियर द्वारा केवल इस करार में उल्लिखित पते पर या पार्टियों अंतिम ज्ञात पते पर भेजा जाएगा।

27. कैटरर या तो दिल्ली मिल्क स्कीम या मदर डेयरी मिल्क का इस्तेमाल करेगा। यदि वह किन्हीं कारणों से दिल्ली दूध योजना या मदर डेयरी की आपूर्ति को बनाए रखने में असमर्थ है, तो उसे अच्छी गुणवत्ता वाले दूध की आपूर्ति करने वाले अन्य स्रोतों से खरीद की व्यवस्था करनी चाहिए। डीएमएस/मदर डेयरी को सुरक्षा जमा, यदि कोई हो, का भुगतान कैटरर द्वारा स्वयं किया जाएगा।

28. कि कैंटीन/पेंट्री सेवाएं प्रदान करने के लिए आवंटित परिसर में केटरर कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं करेगा।

29. कि केटरर ने परिसर और उसके आस-पास के क्षेत्र को हर समय स्वच्छ, स्वच्छ और नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) या किसी अन्य सरकारी/सांविधिक निकाय के स्वास्थ्य/स्वच्छ स्थिति उप-नियमों के अनुसार रखने के लिए सहमति व्यक्त की है। कैंटीन किचन/कुकिंग एरिया या डाइनिंग हॉल में और उसके आस-पास उपरोक्त किसी भी उप-नियमों के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित अधिकारियों द्वारा लगाए गए किसी भी दंड/जुर्माने के लिए कैटरर जिम्मेदार होगा।

30. यह कि एनडीएमसी, स्वास्थ्य विभाग या किसी अन्य सरकारी/सांविधिक निकाय के अधिकारियों द्वारा कैटरर द्वारा उपयोग किए गए कच्चे माल के नमूने लेने और उन नमूनों के मानव उपभोग के लिए फिट/उचित नहीं पाए जाने की स्थिति में कैटरर उक्त प्राधिकारियों द्वारा लगाया गया जुर्माना/दंड या कानूनी संसाधन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

31. परिसर में तैनात कोई भी कर्मचारी अपने कार्यों, अवज्ञा या कदाचार के कारण कैटरर द्वारा हटाया जाएगा। कैटरर विदेश मंत्रालय के निर्णय को अनंतिम रूप से स्वीकार करेगा और ऐसे निर्णय का पालन करेगा। ऐसी घटना में, कैटरर के किसी कर्मचारी द्वारा वेतन या नुकसान हेतु किए गए किसी भी दावे के लिए विदेश मंत्रालय किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं होगा और कैटरर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को क्षतिपूर्ति करेगा।

32. केटरर कैंटीन सेवाओं में सुधार के लिए सुझावों को दर्ज करने हेतु एक सुझाव पुस्तिका बनाए रखेगा। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित इस तरह के सुझावों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। विदेश मंत्रालय के नामित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए सुझाव पुस्तिका को खुला रखा जाएगा।

33. ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारी को किसी प्रकार की चोट, क्षति, दुर्घटना या अपने कर्मचारियों की असावधानी/लापरवाही के परिणामस्वरूप कार्य के क्षेत्रों में उपकरण/संपत्ति के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

34. कैंटीन/पेंट्री सहित विदेश मंत्रालय के परिसरों में दवाओं, मादक पेय, सिगरेट या किसी अन्य मादक पदार्थ का भंडारण/आपूर्ति/बिक्री और खपत सख्त वर्जित है। कैंटीन ठेकेदार द्वारा इस तरह के प्रतिबंधों का किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर वैधानिक मानदंडों के अनुसार ठेकेदार के खिलाफ निवारक कार्रवाई की जाएगी।

35. कैटरर द्वारा दी जाने वाली वस्तुएं स्वास्थ्यकर और स्वच्छ वातावरण में तैयार की गई हों। **अवर सचिव, स्थापना प्रभाग, विदेश मंत्रालय और/या उनके द्वारा नामित अधिकारी** किसी भी समय इस अनुबंध के अनुसार कैटरर को आवंटित रसोई क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है और निरीक्षण, परीक्षण या विश्लेषण के उद्देश्य से कच्चे माल, अर्ध-तैयार या पूरी तरह से तैयार खाने योग्य वस्तुओं के नमूने निःशुल्क ले सकता है, और उपभोग के लिए पेश किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की वांछनीयता या गुणवत्ता के संबंध में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का निर्णय अंतिम होगा। यदि मेन्यू/भोजन के प्रावधान का कोई भी आइटम दोषपूर्ण या उपयोग/उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो विदेश मंत्रालय के अधिकारी-

क) चेतावनी जारी करेंगे; और / या

ख) उक्त कच्चे माल/वस्तुओं को नष्ट करवाएंगे और कैटरर को बची हुई उक्त सामग्री/वस्तुओं के लिए ठेकेदार को मुआवजे के भुगतान के बिना ताजा स्टॉक खरीदने के लिए कहेंगे। यदि, चेतावनी जारी होने के बावजूद यह समस्या फिर से आती है, तो विदेश मंत्रालय यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा तय किए गए वित्तीय दंड लगा सकता है या अनुबंध को बिना कोई नोटिस दिए रद्द कर सकता है।

36. ठेकेदार के अन्य दायित्व

i. यह ध्यानपूर्वक सुनिश्चित किया जाए कि कार्य करते समय, विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए कोई फिटिंग, फिक्स्चर, फर्निशिंग, उपकरण क्षतिग्रस्त न हों। इस या किसी अन्य संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान की मरम्मत/प्रतिस्थापन ठेकेदार को करना होगा, ऐसा न करने पर वह ठेकेदार के जोखिम और लागत पर विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में, विदेश मंत्रालय के नामित अधिकारी का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

ii. सभी कार्य विदेश मंत्रालय की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे। संबंधित प्राधिकारी के आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

iii. ठेकेदार विदेश मंत्रालय और मेहमानों की आवश्यकता के अनुसार देर से और छुट्टियों सहित शनिवार/रविवार को अन्य काम के लिए पर्याप्त जनशक्ति तैनात करेगा।

iv. ठेकेदार को विदेश मंत्रालय के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा तय की गई सूची एवं आवश्यकता के अनुसार विदेश मंत्रालय परिसर की कैंटीन में नाश्ता/दोपहर का भोजन/रात्रिभोज की आपूर्ति करनी होगी।

v. कैंटीन/पेंट्री सहित विदेश मंत्रालय के परिसरों में दवाओं, मादक पेय, सिगरेट या किसी अन्य मादक पदार्थ का भंडारण/आपूर्ति/बिक्री और खपत सख्त वर्जित है। कैंटीन ठेकेदार द्वारा इस तरह के प्रतिबंधों का कोई भी उल्लंघन वैधानिक मानदंडों के अनुसार ठेकेदार के खिलाफ निवारक कार्रवाई की जाएगी।

vi. ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारी सीधे ठेकेदार के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और रोजगार के अधीन होंगे और उनका विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं होगा। विदेश मंत्रालय पर ऐसे श्रमिकों पर कानून के तहत कार्रवाई करने के अलावा नियंत्रण/पर्यवेक्षण या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का दायित्व नहीं होगा। कैंटीन/पेंट्री के किसी कर्मचारी की किसी अप्रिय घटना/आग/मृत्यु/चोट की स्थिति में, विदेश मंत्रालय किसी भी क्षति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

vii. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि या तो वह स्वयं या उसका प्रतिनिधि कार्यस्थल पर विदेश मंत्रालय की संपूर्ण संतुष्टि के लिए उचित प्रशासन और पर्यवेक्षण के लिए उपलब्ध रहे।

viii. विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं के अतिरिक्त ठेकेदार कैंटीन/पेंट्री सेवाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में अपने उपकरण, कुकर, हॉट बॉक्स, स्टीम बॉक्स, ट्रॉली, उपकरण, बर्तन, प्लेट, जग आदि लाएगा।

ix. ठेकेदार कैंटीन परिसर का उपयोग किसी अन्य गतिविधि के लिए नहीं करेगा सिवाय उसके जिसके लिए इसे प्रदान किया गया है।

37. विशेष शर्तें

i. क्षतिपूर्ति:

सफल बोलीदाता पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है और ठेकेदार के कारण चूक/त्रुटि के कारण मंत्रालय के खिलाफ शुरू किए गए मुकदमे/दावों/आवेदन से उत्पन्न होने वाली सभी हानियों/दंडों/अधिनिर्णयों/डिक्रियों के लिए मंत्रालय को क्षतिपूर्ति करने के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है और जो समय-समय पर संशोधित निम्नलिखित अधिनियमों सहित विभिन्न केंद्रीय श्रम और रोजगार अधिनियमों के प्रावधानों के तहत दंडनीय हैं। मंत्रालय को उपरोक्त के कारण हुई क्षति/नुकसान का निर्धारण करने और किसी भी समय ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दायर करके निष्पादन गारंटी के रूप में निष्पादन सुरक्षा जमा या बोलीदाता की निजी संपत्ति या फर्म/कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्ति से उपयुक्त कानूनी पहल के माध्यम से देय राशियों को वसूल करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा। ठेकेदार श्रम अथवा अन्य संबद्ध कानूनों की अनुपालना न किए जाने के कारण संविदा की अवधि के दौरान उठने वाले या उठने की संभावना वाले किसी भी कानूनी विवाद/मामले/दावे के लिए उत्तरदायी होगा।

ii. आधिकारिक रिकॉर्ड:

ठेकेदार कार्यालय में तैनात अपने सभी कर्मचारियों के संबंध में एक स्टाफ फाइल रखेगा। स्टाफ फ़ाइल में निरपवाद रूप से व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग, आवासीय पता (अस्थायी/स्थायी) और कर्मचारियों द्वारा दर्ज की गई सभी शिकायतों के साथ-साथ की गई कार्रवाई आदि शामिल होंगे।

38. आचार संहिता:

ठेकेदार कड़ाई से निरीक्षण करेगा कि उसके कर्मचारी:

i. हमेशा कार्य के प्रति चुस्त-दुरुस्त और सतर्क रहें।
ii. समय के पाबंद रहें और अपने ड्यूटी समय शुरू होने से कम से कम 15 मिनट पहले पहुंचें।
iii. अपने कर्तव्यों का ठीक से और पूरी तरह से निर्वहन करें।
iv. अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से करें।
v. मंत्रालय के सभी अधिकारियों से शिष्टाचार बढ़ाएंगें।
vi. ड्यूटी पर शराब नहीं पीएंगे, या नशे में आकर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे।
vii. ड्यूटी के दौरान गपशप या बातचीत नहीं करेंगे।
viii. ड्यूटी के दौरान कभी नहीं सोएंगे।
ix. यदि कोई अप्रिय घटना/कदाचार या दुर्व्यवहार होता है, तो तुरंत मंत्रालय को सूचित करेंगे।
x. संदेह होने पर तुरंत संबंधित व्यक्ति से संपर्क करें।
xi. जब भी वे बाहर जाएं तो सुरक्षा कर्मियों से अपनी जांच कराएं।
xii. कार्यालय परिसर में धूम्रपान या गुटखा/पान आदि का प्रयोग नहीं करेंगे।

39. भुगतान का प्रकार:

i. पिछले महीने में प्रदान की गई सेवाओं के लिए ठेकेदार को मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा। बिलिंग अवधि हर माह की पहली तारीख से अंतिम तारीख तक होगी। ठेकेदार अगले महीने के 10 दिनों के भीतर सही इनवॉयस जमा करेगा (प्रत्यक्ष रूप से)।
ii. यदि किसी बिल या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रश्न, आपत्ति, विलंब या विवाद के कारण विलंब से भुगतान के लिए ठेकेदार किसी ब्याज का दावा करने का हकदार नहीं होगा।
iii. अग्रिम में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा और मूल्य अनुसूची में जीएसटी और अन्य उपकर शामिल होंगे।
iv. भुगतान करते समय विदेश मंत्रालय द्वारा नियमों के अनुसार स्रोत पर आयकर की कटौती की जा सकती है

40. दंड:

i. ठेकेदार सभी कर्मियों को वर्दी/बैज, पहचान पत्र, जूते के नए सेट प्रदान करेगा जो उसे काम के दौरान पहनेंगे और वे अपनी वर्दी को साफ-सुथरा रखेंगे। यदि कोई कर्मचारी (प्रबंधक और पर्यवेक्षक सहित) बिना वर्दी के पाया जाता है, तो ठेकेदार के बिल से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 100/- रुपये की दर से जुर्माना वसूल किया जाएगा।

ii. ठेकेदार को किसी भी निर्धारित तिथि में कैंटीन/पेंट्री सेवाएं नहीं प्रदान करने पर 5000/- प्रति दिन जुर्माना देना होगा।

iii. यदि ठेकेदार मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना कोई वस्तु बेचता है तो प्रति दिन प्रति आइटम 500/- रुपए जुर्माना देना होगा।

41. विदेश मंत्रालय को समय-समय पर इस अनुबंध के कामकाज की समीक्षा करने का अधिकार होगा और यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि कैटरर ने इस अनुबंध की किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया है या उसका काम असंतोषजनक है, तो विदेश मंत्रालय कैटरर कैटरर को एक महीने का अग्रिम नोटिस देकर इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

42. जेम पोर्टल पर निविदा दस्तावेज/बोली, तकनीकी और वित्तीय बोलियां और अनुबंध प्रदान करने संबंधी पत्र इस करार का एक अभिन्न अंग होगा।

43. विवादों का निपटारा और मध्यस्थता:

i. इस करार के किसी प्रावधान के निर्वचन, प्रभाव और निहितार्थ के रूप में पक्षकारों के बीच कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है, जिसमें अधिकारों या देनदारियों या किसी भी पक्ष के किसी भी दावे या मांग या इन उपहारों के तहत किसी अन्य मामले के संबंध में किसी भी पक्षकार की मांग शामिल है, लेकिन ऐसे किसी भी मामले, निर्णय या निर्धारण को छोड़कर, जिसके लिए इस निविदा में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है, तो उस विवाद की तारीख से 15 दिनों के भीतर (या ऐसी लंबी अवधि जिस पर पारस्परिक रूप से सहमति हो सकती है) एक पक्ष दूसरे को लिखित रूप में सूचित करेगा कि ऐसा विवाद या असहमति मौजूद है, उसपर बातचीत के लिए 30 दिनों का समय दिया जाएगा जिसके बाद पक्षकार मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार विवाद को मध्यस्थता में प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके अनुसरण में दिया गया निर्णय पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

ii. एकल मध्यस्थ की नियुक्ति दोनों पक्षों की आपसी सहमति से की जाएगी।

iii. मध्यस्थता का स्थान और सीट दिल्ली में होगी।

iv. मध्यस्थता कार्यवाही केवल अंग्रेजी भाषा में होगी।

v. प्रत्येक पक्षकार मध्यस्थता कार्यवाही की अपनी लागत को वहन और भुगतान करेगा जब तक कि अन्यथा अवार्ड में मध्यस्थ का निर्णय नहीं लिया गया हो।

vi. इस निविदा/अनुबंध के समाप्त हो जाने या अस्तित्व में न होने या समाप्त अथवा रद्द अथवा गैरकानूनी घोषित कर दिये जाने के बाद भी इस खंड के प्रावधानों को विफल, निरस्त या निष्क्रिय नहीं किया जाएगा।

vii. नई दिल्ली के न्यायालयों के पास इस करार/निविदा से संबंधित सभी मामलों में विशेष क्षेत्राधिकार होगा, जिसमें मध्यस्थता की कार्यवाही से संबंधित या उससे उत्पन्न कोई भी मामला शामिल होगा।

44. अनुबंध में संशोधन

इस करार को दोनों पक्षकारों की लिखित सहमति से संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है जिसे संबंधित पक्षकारों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। दोनों पक्षकारों अर्थात ठेकेदार और मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित लिखित संशोधन के अलावा अनुबंध की शर्तों में कोई बदलाव या संशोधन नहीं किया जाएगा।

45. बोलियां आमंत्रित करने वाली निविदा सूचना संख्या _____दिनांक _____ की सभी नियम और शर्तें करार का एक अभिन्न अंग होंगी।

इसके साक्ष्य में दोनों पक्षकारों ने गवाहों और एक दूसरे की उपस्थिति में पार्टियों ने ऊपर उल्लिखित दिनांक, महीने और वर्ष को इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

ठेकेदार की ओर से

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

भारत के राष्ट्रपति की
ओर से

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(विदेश मंत्रालय)

******

Q/EF-Canteen/551/06/2022
Government of India
Ministry of External Affairs
(Establishment Division)
EF-Canteen Section

BID No. GEM/2022/B/2389408 **Dated: 29th July, 2022**

Section – 7

Payment Terms

1. MODE OF PAYMENT:

i. The Contractor shall be paid on a monthly basis for the services rendered in the preceding month. The billing cycle will be the 1st of every month to the last day of the month. The Contractor shall submit correct invoices (in physical) within 10 days of the succeeding month.

ii. If due to any query, objection, delay or dispute with regard to any bill or a part thereof, the contractor will not be entitled to claim any interest for late payment.

iii. No payment shall be made in advance and the Price Schedule shall be inclusive of GST and other cess.

iv. Income Tax may be deducted at source as per rules by MEA while making the payment.

v. The payment in respect of official hospitality bills of the MEA submitted in duplicate by the contractor will be released on receipt basis subject to fulfillment of obligations by the contractor imposed under various laws, Rules & Regulations, etc. applicable from time to time and after scrutiny of authorization for supply at the prices offered by the contractor. Any supply of food items without proper authorization by the designated authority of MEA will not be paid for. Payment will be made through RTGS/NEFT (bank transfer).

vi. The prices in the Price Schedule shall be inclusive of GST and other cess.

vii. Contractor must ensure the payment of Counter Sales will be accepted by both **Cash and E-Payment mode (Paytm, Phonepe, UPI, etc).**

****

क्यू/ईएफ-कैंटीन/551/06/2022
भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
(स्थापना प्रभाग)
ईएफ-कैंटीन अनुभाग

बोली संख्या: जीईएम/2022/बी/2389408 **दिनांक: 29 जुलाई, 2022**

भाग – 7

भुगतान शर्तें

1. भुगतान का तरीका:

i. पिछले महीने में प्रदान की गई सेवाओं के लिए ठेकेदार को मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा। बिलिंग चक्र हर महीने की पहली तारीख से महीने के आखिरी दिन तक रहेगा। ठेकेदार को अगले महीने के 10 दिनों के भीतर सही चालान (वास्तविक रूप से) जमा करना होगा।

ii. यदि किसी बिल या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रश्न, आपत्ति, विलंब या विवाद होता है तो ठेकेदार विलंब से भुगतान के लिए किसी ब्याज का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

iii. कोई भी भुगतान अग्रिम रूप से नहीं किया जाएगा और मूल्य सूची में जीएसटी और अन्य उपकर शामिल होंगे।

iv. भुगतान करते समय विदेश मंत्रालय द्वारा नियमों के अनुसार स्रोत पर आयकर की कटौती की जा सकती है।

v. ठेकेदार द्वारा दो प्रतियों में जमा किए गए विदेश मंत्रालय के आधिकारिक आतिथ्य बिलों के संबंध में भुगतान, समय-समय पर लागू विभिन्न कानूनों, नियमों और विनियमों आदि के तहत ठेकेदार के दायित्वों को पूरा किए जाने पर और ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित कीमतों पर आपूर्ति के लिए प्रमाणीकरण की जांच के बाद, रसीद के आधार पर किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के नामित प्राधिकारी द्वारा उचित प्रमाणीकरण के बिना खाद्य पदार्थों की किसी भी आपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा। भुगतान आरटीजीएस/एनईएफ़टी (बैंक हस्तांतरण) के माध्यम से किया जाएगा।

iv. मूल्य सूची में कीमतों में जीएसटी और अन्य उपकर शामिल होंगे।

v. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि काउंटर सेल्स का भुगतान **नकद और ई-पेमेंट मोड (पेटीएम, फोनपे, यूपीआई, आदि)** दोनों द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

*****

Q/EF-Canteen/551/06/2022
Government of India
Ministry of External Affairs
(Establishment Division)
EF-Canteen Section

BID No. GEM/2022/B/2389408 **Dated: 29th July, 2022**

Section – 8

Penalities

1. PENALTIES:

- **i.** The contractor shall supply fresh sets of uniforms/badges, identity cards, shoes to all personnel who shall wear the same while on work and also keep their uniform neat and clean. If any employee (including Manager and Supervisor) is found without uniform, penalty @ Rs.100/- per person per day shall be recovered from contractor's bill.
- **ii.** The contractor has to pay penalty of Rs. 5000/- per day for not providing canteen/pantry services in any designated date.
- **iii.** The contractor has to pay penalty of Rs. 500/- per day per item if they sells any item without Ministry's prior permission.

*****

क्यू/ईएफ-कैंटीन/551/06/2022

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

(स्थापना प्रभाग)

ईएफ-कैंटीन अनुभाग

बोली संख्या: जीईएम/2022/बी/2389408 **दिनांक: 29 जुलाई, 2022**

भाग – 8

दंड

1. दंड:

i. ठेकेदार सभी कर्मियों को वर्दी/बैज, पहचान पत्र, जूते के नए सेट प्रदान करेगा जो उसे काम के दौरान पहनेंगे और वे अपनी वर्दी को साफ-सुथरा रखेंगे। यदि कोई कर्मचारी (प्रबंधक और पर्यवेक्षक सहित) बिना वर्दी के पाया जाता है, तो ठेकेदार के बिल से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 100/- रुपये की दर से जुर्माना वसूल किया जाएगा।

ii. ठेकेदार को किसी भी निर्धारित तिथि में कैंटीन/पेंट्री सेवाएं नहीं प्रदान करने पर 5000/- प्रति दिन जुर्माना देना होगा।

iii. यदि ठेकेदार मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना कोई वस्तु बेचता है तो प्रति दिन प्रति आइटम 500/- रुपए जुर्माना देना होगा।

*****

Q/EF-Canteen/551/06/2022
Government of India
Ministry of External Affairs
(Establishment Division)
EF-Canteen Section

BID No. GEM/2022/B/2389408 **Dated: 29th July, 2022**

Section - 9

Quantifiable Specification/ Standards of the Services/ BoQ

Rates inclusive of taxes should be provided by the bidder. The L1 bidder will be selected on the basis of the TOTAL menu cost.

Menu/List of items is as follows:

Rates for Meetings/Conferences

S.No.	Items	Rate (Per Head) in INR (Inclusive of all taxes)
1.	Tea/Coffee (125 ml)	
2.	Tea/Coffee (125 ml) + Biscuit/Cookies (2 Pcs.)	
3.	Tea/Coffee(125 ml), Biscuit/Cookies(2 Pcs.), Mixed Nuts (Kaju Roasted + Roasted Badam - 30 grams)	

Rates for Canteen/Pantry Services for Official/Staff (Breakfast)

S.No.	Name of Items	Rate in INR (Inclusive of all taxes)
	BREAKFAST	
1.	Bread Slice big size with Butter (2 pcs)	
2.	Bread Omelette (Two Slices)	
3.	Poha (one plate)- (200 grams)	
4.	Aloo Bhonda (70gram)	
5.	Bread Pakora (one piece)	
6.	Sabzi Kachori (2 piece)- 70 grams	
7.	Puri Sabzi (4 piece)- 80 grams	
8.	Aloo Paratha (one piece)	
9.	Paneer Paratha (one piece)	
10.	Onion Paratha (one piece)	
11.	Pav Bhaji (2 piece)- 70 grams	
12.	One Plate idly (2 pieces) with sambhar and Chatni	
13.	Dal Vada/ Channa Vada (70 gram)	
14.	One Plate Upma with sambhar and chatni (200 gram)	
15.	Sambhar Vada (2 piece-each vada 70 grams)	

16.	Dosa with Sambhar & Chutney (plain)	
17.	Masala Dosa with Sambhar & Chutney	
18.	Chole Bhature (2 Piece) – (70 grams)	
	LUNCH	
19.	Ordinary Lunch- Thali (Basmati Rice, Roti (3 pcs), Dal, Vegetable (Seasonal Green Veg.), Salad, Raita/Curd and sweet)	
20.	Deluxe Lunch-Thali (Basmati Rice, Roti(3 Pcs), Dal, Vegetable (Seasonal Green Veg. +Paneer item), Salad, Raita/Curd and sweet/Ice Cream (optional), Pickle	
21.	Half Plate Rice(Basmati) Pulao-(200 grams)	
22.	Full Plate Rice (Basmati) Pulao-(400 grams)	
23.	Fried Rice (200 grams)	
24.	One Roti (Tawa) - (70 grams)	
25.	One Roti (Tandoori) – (400 grams)	
26.	Dal (per plate)- (200 grams)	
27.	One Katori Rajma- (200 grams)	
28.	One Katori Kadhi Pakora(with 2 pcs. Pakora)- (200 grams)	
29.	One Katori Seasonal Vegetable- (200 grams)	
30.	One Katori Aalu Matar- (200 grams)	
31.	One Katori Baingan Bharta- (200 grams)	
32.	One Katori Mixed Vegetable- (200 grams)	
33.	One Katori Dahi Vada (two Piece vada)- (200 grams)	

34.	One Katori any Paneer Item-(200 grams)	
35.	One Katori Palak Paneer – (200 grams)	
36.	One Katori Nutri Paneer – (200 grams)	
37.	Egg Curry (Two Egg Piece)	
38.	Chicken Curry (Two Leg Piece)	
EVENING SNACKS		
39.	Mix Pakoda (80 grams)	
40.	French Fries (150 grams)	
41.	Hara Bhara Kabab (4 piece)	
42.	Bun Tikki (60 grams)	
All TIME ITEMS		
43.	Samosa (70 grams)	
44.	Veg. Patties (1 piece)	
45.	Paneer Patties (1 piece)	
46.	One Plate Maggi (200 grams)	
47.	Dhokla (1 piece- 70 grams)	
48.	Soup (200 ml)	
49.	Fruit Custard (200 ml)	

BEVERAGES		
50.	Tea (125 ml)	
51.	Coffee (125 ml)	
52.	Lassi (450 ml)	
53.	Fruit Juice Tetra Pack (200 ml)	
SWEETS		
54.	One Piece Gulab Jamun- (60 grams)	
55.	One Piece Rasgulla- (60 grams)	
56.	One Piece Barfi- (60 grams)	
57.	One Piece Ras Malai (70 grams)	
58.	Besan Ladoo (70 gram)	
TOTAL		

Signature of the authorized
Signatory of the bidder with
Seal of the firm/company

Name: ______________________
Mob No.____________________
Date: _______________________

क्यू/ईएफ-कैंटीन/551/06/2022

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

(स्थापना प्रभाग)

ईएफ-कैंटीन अनुभाग

बोली संख्या: जीईएम/2022/बी/2389408 **दिनांक: 29 जुलाई, 2022**

भाग - 9

मात्रात्मक विशिष्टता/
सेवाओं के मानक/
बीओक्यू

बोलीदाता द्वारा कर सहित दरें उपलब्ध कराई जाएगी। एल1 बोलीदाता का चयन कुल मेनू लागत के आधार पर किया जाएगा।

मेनू/वस्तुओं की सूची निम्नानुसार है:

बैठकों/सम्मेलनों के लिए दरें

क्र. सं.	वस्तुएँ	दरें भारतीय रुपए में (प्रति व्यक्ति) (सभी करों सहित)
1	चाय/कॉफी (125 मिली)	
2	चाय/कॉफी (125 मिली) + बिस्कुट/कुकीस (2 पीस)	
3	चाय/कॉफी (125 मिली), बिस्किट/कुकीस (2 पीसी), मिले जुले मेवे (काजू भुना हुआ + भुना बादाम - 30 ग्राम)	

आधिकारिक/कर्मचारियों के लिए कैंटीन/पेंट्री सेवाओं की दरें (नाश्ता)

क्र. सं.	वस्तुओं का नाम	भारतीय रुपए में दर (सभी करों सहित)
	नाश्ता	
1.	मक्खन के साथ बड़ा आकार का ब्रेड स्लाइस (2 पीस)	
2.	ब्रेड आमलेट (दो स्लाइस)	
3.	पोहा (एक प्लेट)- (200 ग्राम)	
4.	आलू बोंडा (70 ग्राम)	
5.	ब्रेड पकोड़ा (एक स्लाइस)	
6.	सब्जी कचौरी (2 पीस) - 70 ग्राम	
7.	पूरी सब्जी (4 पीस)- 80 ग्राम	
8.	आलू पराठा (एक पीस)	
9.	पनीर पराठा (एक पीस)	
10.	प्याज पराठा (एक पीस)	

11.	पाव भाजी (2 पीस)- 70 ग्राम	
12.	एक प्लेट इडली (2 टुकड़े) सांबर और चटनी के साथ	
13.	दाल वड़ा/ चना वड़ा (70 ग्राम)	
14.	एक प्लेट उपमा सांभर और चटनी के साथ (200 ग्राम)	
15.	सांभर वड़ा (2 टुकड़े-प्रत्येक वड़ा 70 ग्राम)	
16.	सांभर और चटनी के साथ डोसा (सादा)	
17.	सांभर और चटनी के साथ मसाला डोसा	
18.	छोले भटूरे (2 पीस) - (70 ग्राम)	
	भोजन	
19	सामान्य भोजन - थाली (बासमती चावल, रोटी (3 पीसी), दाल, सब्जी (मौसमी हरी सब्जी), सलाद, रायता/दही और मीठा)	
20	डीलक्स भोजन - थाली (बासमती चावल, रोटी (3 पीसी), दाल, सब्जी (मौसमी हरी सब्जी + पनीर आइटम), सलाद, रायता/दही और मिठाई/आइसक्रीम (वैकल्पिक), अचार	
21	आधा प्लेट चावल (बासमती) पुलाव- (200 ग्राम)	
22	पूरी प्लेट चावल (बासमती) पुलाव- (400 ग्राम)	
23	फ्राइड राइस (200 ग्राम)	
24	एक रोटी (तवा)	
25	एक रोटी (तंदूरी)	
26	दाल (प्रति प्लेट)	
27	एक कटोरी राजमा	
28	एक कटोरी कढ़ी पकोड़ा (2 पीसी पकोड़े के साथ)	
29	एक कटोरी मौसमी सब्जी	
30	एक कटोरी आलू मटर	

31	एक कटोरी बैंगन का भरता	
32	एक कटोरी मिक्स सब्जी	
33	एक कटोरी दही वड़ा (दो पीस वड़ा)	
34	एक कटोरी पनीर की कोई भी वस्तु- (200 ग्राम)	
35	एक कटोरी पालक पनीर - (200 ग्राम)	
36	एक कटोरी न्यूट्री पनीर - (200 ग्राम)	
37	अंडा करी (अंडे के दो पीस)	
38	चिकन करी (दो लेग पीस)	
शाम का नाश्ता		
39	मिक्स पकोड़ा (80 ग्राम)	
40	फ्रेंच फ्राईज (150 ग्राम)	
41	हरा भरा कबाव (4 पीस)	
42	बन टिक्की(60 ग्राम)	
ऑल टाइम आइटम		
43	समोसा (70 ग्राम)	
44	वेज पेटीज (1 पीस)	
45	पनीर पेटीज (1 पीस)	
46	1 प्लेट मैगी (200 ग्राम)	
47	ढोकला (1पीस – 70 ग्राम)	
48	सूप (200 मिली.)	
49	फ्रूट कस्टर्ड (200 मिली.)	
पेय पदार्थ		
50	चाय (125 मिली.)	
51	कॉफी (125 मिली.)	
52	लस्सी (450 मिली.)	

53	फ्रूट जूस टेट्रा पैक (200 मिली.)	
मिठाईयां		
54	एक पीस गुलाब जामुन (60 ग्राम)	
55	एक पीस रसगुल्ला (60 ग्राम)	
56	एक पीस बर्फी (60 ग्राम)	
57	एक पीस रसमलाई (70 ग्राम)	
58	बेसन लड्डू (70 ग्राम)	
कुल		

फर्म/कंपनी की मुहर सहित
बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
नाम …………. ....
मोबाईल नं.........................
दिनांक………..................

Q/EF-Canteen/551/06/2022
Government of India
Ministry of External Affairs
(Establishment Division)
EF-Canteen Section

BID No. GEM/2022/B/2389408 **Dated: 29th July, 2022**

Section – 10

Project Experience and Quality Criteria Requirement

EXPERIENCE:

1. The bidder's should be in catering business for a continuous period of **Three years** as on **31.03.2022**.

2. Experience of having continuously running the catering services during the last three years as on **31.03.2022** as per following:

"Similar completed works each having not less than 100 persons on its dining strength per day in last three years. Similar nature of work means the running of the Canteen/mess of government departments/ institutions/ organizations/ Reputed Companies/ Guest Houses for officials."

3. The bidders are required to submit the performance certificate as per Form – III for each work completed during last three years ending 31.03.2022.

4. Attested copies of Work Completion Certificates (as per Form-III) issued by client Central/State Government Departments/Ministries/Organizations of the Government of India/State Government/PSU's and big reputed Private Organizations, shall be accepted. Attested copies of these documents to be uploaded with Technical Bid.

****

क्यू/ईएफ – कैंटीन /551/06/2022
भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
(स्थापना प्रभाग)
ईएफ - कैंटीन अनुभाग

बोली संख्या: जीईएम/2022/बी/2389408 **दिनांक: 29 जुलाई, 2022**

भाग - 10

परियोजना का अनुभव और गुणवत्ता
आवश्यक मानदंड

अनुभव:

- बोलीदाता को 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार लगातार तीन वर्षों की अवधि के लिए खानपान व्यवसाय में होना चाहिए।
- 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान लगातार खानपान सेवाएं चलाने का अनुभव निम्नानुसार है:

  "पिछले तीन वर्षों में प्रतिदिन समान रूप से कम से कम 100 व्यक्तियों के भोजन संबंधी संपूर्ण कार्य। समान रूप से कार्य का अर्थ है कैंटीन का कार्य/सरकारी विभागों/संस्थानों/संगठनों/प्रतिष्ठित कंपनियों/अधिकारियों के लिए अतिथि गृह की कैंटीन/मैस चलाने से है।
- बोलीदाताओं को 31.03.2022 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान संपन्न किए गए प्रत्येक कार्य की निष्पादन प्रमाण पत्र फॉर्म - III के अनुसार जमा करना आवश्यक है।
- केंद्रीय/राज्य सरकार के विभागों/मंत्रालयों/भारत सरकार के संगठनों/राज्य सरकार/पीएसयू और बड़े प्रतिष्ठित निजी संगठनों के ग्राहकों द्वारा जारी किए गए कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र (फॉर्म-III के अनुसार) की सत्यापित प्रतियां स्वीकार की जाएंगी। इन दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां तकनीकी बोली के साथ अपलोड की जाएंगी।

****

Q/EF-Canteen/551/06/2022
Government of India
Ministry of External Affairs
(Establishment Division)
EF-Canteen Section

BID No. GEM/2022/B/2389408 **Dated: 29th July, 2022**

Section – 11

Educational Qualification including
Profile of SME/ Consultants/
Professional Resources/
technical Resources
if they are part of Project

(Not Applicable)

क्यू/ईएफ – कैंटीन /551/06/2022
भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
(स्थापना प्रभाग)
ईएफ - कैंटीन अनुभाग

बोली संख्या: जीईएम/2022/बी/2389408 **दिनांक: 29 जुलाई, 2022**

भाग – 11

एसएमई/परामर्शदाताओं / व्यावसायिक संसाधनों/ तकनीकी संसाधनों सहित शैक्षिक योग्यता प्रोफाइल यदि वे परियोजना का हिस्सा हैं

(लागू नहीं)

Q/EF-Canteen/551/06/2022
Government of India
Ministry of External Affairs
(Establishment Division)
EF-Canteen Section

BID No. GEM/2022/B/2389408 **Dated: 29th July, 2022**

Section - 12

Any Other Document Required As Per Specific Requirement of Buyer – 1

Bid Security Declaration Form

Date:___________________ Tender No. _________________

To (insert complete name and address of the purchaser)

I/We. The undersigned, declare that:

I/We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid Securing Declaration.

I/We accept that I/We may be disqualified from bidding for any contract with you for a period of one year from the date of notification if I am /We are in a breach of any obligation under the bid conditions, because I/We

a) have withdrawn/modified/amended, impairs or derogates from the tender, my/our Bid during the period of bid validity specified in the form of Bid; or

b) having been notified of the acceptance of our Bid by the purchaser during the period of bid validity (i) fail or reuse to execute the contract, if required, or (ii) fail or refuse to furnish the Performance Security, in accordance with the Instructions to Bidders.

I/We understand this Bid Securing Declaration shall cease to be valid if I am/we are not the successful Bidder, upon the earlier of (i) the receipt of your notification of the name of the successful Bidder; or (ii) thirty days after the expiration of the validity of my/our Bid.

Signed: (insert signature of person whose name and capacity are shown)

in the capacity of (insert legal capacity of person signing the Bid Securing Declaration)

Name: (insert complete name of person signing he Bid Securing Declaration)

Duly authorized to sign the bid for an on behalf of (insert complete name of Bidder)

Dated on _____________ day of ___________________ (insert date of signing)

Corporate Seal (where appropriate)

(Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be in the name of all partners to the Joint Venture that submits the bid)

****

क्यू/ईएफ – कैंटीन /551/06/2022
भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
(स्थापना प्रभाग)
ईएफ - कैंटीन अनुभाग

बोली संख्या: जीईएम/2022/बी/2389408 **दिनांक: 29 जुलाई, 2022**

भाग - 12
खरीदार – 1 की विशिष्ट आवश्यकतानुसार
कोई अन्य अपेक्षित दस्तावेज

बोली सुरक्षा घोषणा प्रपत्र

निविदा संख्या ________ दिनांक:_______

प्रति (क्रेता का पूरा नाम और पता दर्ज करें)

मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी, घोषणा करते हैं कि:

मैं/हम समझते हैं कि, आपकी शर्तों के अनुसार, बोलियों को एक बोली सुरक्षा घोषणा द्वारा समर्थित होना चाहिए।

मैं/हम स्वीकार करते हैं कि मैं/हम अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए आपके साथ किसी भी अनुबंध के लिए बोली लगाने से अयोग्य हो सकते हैं यदि मैं/हम बोली शर्तों के तहत किसी भी दायित्व का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि मैं/हमने

- बोली के रूप में निर्दिष्ट बोली वैधता की अवधि के दौरान मेरी/हमारी बोली को वापस ले लिया/रूपांतरित/संशोधित, खराब या निविदा का अवमूल्यन कर दिया है; या
- बोली की वैधता की अवधि के दौरान क्रेता द्वारा हमारी बोली की स्वीकृति के बारे में अधिसूचित किया गया है (i) अनुबंध को निष्पादित करने में विफल या पुन: उपयोग, यदि आवश्यक हो, या (ii) बोलीदाताओं के निर्देशों के अनुसार निष्पादन सुरक्षा प्रस्तुत करने में विफल या मना कर दिया।

मैं/हम समझता हूं/समझते हैं कि यदि मैं/हम सफल बोलीदाता नहीं हूं/हैं, तो (i) सफल बोलीदाता के नाम की आपकी अधिसूचना प्राप्त होने पर; या (ii) मेरी/हमारी बोली की वैधता की समाप्ति के तीस दिन बाद यह बोली सुरक्षा घोषणा वैध नहीं रह जाएगी।

हस्ताक्षरित: (उस व्यक्ति के हस्ताक्षर इनसर्ट करें जिनका नाम और उसकी हैसियत दर्शाई गई है)

की वरीय हैसियत में: (बोली सुरक्षा घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की विधिक हैसियत दर्ज करें)

नाम: (बोली सुरक्षा घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम दर्ज करें)

जिसकी ओर से बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है(बोलीदाता का पूरा नाम दर्ज करें)

दिनांक _______ के _________ दिन (हस्ताक्षर करने की तिथि दर्ज करें)

कॉर्पोरेट सील (जहां उपयुक्त हो)

(नोट: एक संयुक्त उद्यम के मामले में, बोली सुरक्षा घोषणा बोली जमा करने वाले संयुक्त उद्यम के सभी भागीदारों के नाम पर होनी चाहिए)

*****

Q/EF-Canteen/551/06/2022
Government of India
Ministry of External Affairs
(Establishment Division)
EF-Canteen Section

BID No. GEM/2022/B/2389408 **Dated: 29th July, 2022**

Section - 13

Any Other Document Required As Per Specific Requirement of Buyer – 2

(ON NON-JUDICIAL STAMP PAPER OF RS.10/-)

AFFIDAVIT

I/we .... Partner(s)/Legal Attorney/Proprietor(s)/Accredited Representative(s) of M/s.............................. solemnly declare that:

1. I/we am/are submitting tender for providing Canteen Services at Jawaharlal Nehru Bhawan and South Block and Pantry Services at Shastri Bhawan and Akbar Bhawan and also to serve refreshments during official meetings/conferences (if required) held in MEA against **Tender Notice Number Q/EF-Canteen/551/06/2022** dated **20/05/2022.**
2. I/we or our partners do not have any relative working in Ministry of External Affairs, New Delhi.
3. All information furnished by me/us in respect of fulfillment of eligibility criteria and information given in this tender is complete, correct and true. All documents/credentials submitted along with this tender are genuine, authentic, true and valid.
4. My/our bid shall be valid for a period of **80** days from the date fixed for the bid submission deadline in accordance with the Bidding Documents and shall remain binding upon us and maybe accepted at any time before the expiry of the period.
5. If my/our bid is accepted, we commit to submit a Performance Security Deposit in accordance with the Bidding Documents.
6. The Price-Bid submitted by me/us is "WITHOUT ANY CONDITION".
7. If any information or document submitted is found to be false/incorrect, department may cancel my/our Tender and can take any action as deemed fit including termination of the contract, forfeiture of all dues and blacklisting of my/our firm and all partners of the firm etc.
8. I/we also declare that the Government of India or any other Government body has not issued any show-cause notice or declared us ineligible or blacklisted us on charges of engaging in corrupt, fraudulent, collusive or coercive practices or any failure/lapses of serious nature.
9. The workers provided by me/us would not have any employer-employee relation with the Ministry of External Affairs and thereby not claim any regularization of their services or enhancement in their wages from Ministry.
10. We will deploy only well-trained and police verified workers on the site.
11. We have sufficient well-trained manpower for the subject work.
12. We will use high quality material only with quality up to the satisfaction of the Ministry.
13. I/we also accept all the terms and conditions of this bidding document and undertake to abide by them, including the condition that MEA is not bound to accept highest ranked bid / lowest bid or any other bid that MEA may receive.

(Signature of bidder with Seal)

Seal of Notary

Date:

क्यू/ईएफ – कैंटीन /551/06/2022
भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
(स्थापना प्रभाग)
ईएफ - कैंटीन अनुभाग

बोली संख्या: जीईएम/2022/बी/2389408 **दिनांक: 29 जुलाई, 2022**

भाग - 13
खरीदार – 2 की विशिष्ट आवश्यकतानुसार
कोई अन्य अपेक्षित दस्तावेज

(रुपये 10/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

शपथ पत्र

मैं/हम.. .... भागीदार/विधिक अटार्नी /मालिकों/मैसर्स के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि .... सत्यनिष्ठा से घोषणा करते हैं कि:

1. मैं/हम जवाहरलाल नेहरू भवन और साउथ ब्लॉक में कैंटीन सेवाएं तथा शास्त्री भवन और अकबर भवन में पैंट्री सेवाएं प्रदान करने के लिए और निविदा सूचना संख्या क्यू/ईएफ-कैंटीन/551/06/2022 दिनांक 20/05/2022 के तहत विदेश मंत्रालय में आयोजित आधिकारिक बैठकों/सम्मेलनों (यदि आवश्यक हो) के दौरान जलपान प्रदान करने के लिए भी निविदा प्रस्तुत कर रहे हैं।
2. मेरा/हमारा या हमारे भागीदारों का कोई रिश्तेदार विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में कार्यरत नहीं है।
3. पात्रता मानदंड की पूर्ति के संबंध में मेरे/हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी और इस निविदा में दी गई जानकारी पूर्ण, सही और सत्य है। इस निविदा के साथ जमा किए गए सभी दस्तावेज/प्रमाण-पत्र वास्तविक, प्रामाणिक, सत्य और वैध हैं।
4. मेरी/हमारी बोली बोली दस्तावेजों के अनुसार बोली जमा करने की अंतिम तारीख के लिए निर्धारित तिथि से 80 दिनों की अवधि के लिए वैध होगी और हम पर बाध्यकारी होगी और अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी समय स्वीकार की जाएंगी।
5. यदि मेरी/हमारी बोली स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं/हम बोली दस्तावेजों के अनुसार एक निष्पादन सुरक्षा जमा प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
6. मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत मूल्य-बोली "बिना किसी शर्त के" है।
7. यदि प्रस्तुत की गई कोई जानकारी या दस्तावेज जाली/गलत पाया जाता है, तो विभाग मेरी/हमारी निविदा को रद्द कर सकता है और अनुबंध को समाप्त करने, सभी बकाया राशि को जब्त करने, मेरी/हमारी फर्म और फर्म के सभी भागीदारों को प्रतिबंधित करने सहित जैसा उचित समझा जाए कोई भी कार्रवाई कर सकता है।
8. मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि भारत सरकार या किसी अन्य सरकारी निकाय ने कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया है या हमें अपात्र घोषित नहीं किया है या हमें भ्रष्ट, कपटपूर्ण, मिलीभगत या जबरदस्ती करने या किसी भी गंभीर विफलता / चूक के आरोप में प्रतिबंधित नहीं किया है।
9. मेरे/हमारे द्वारा प्रदान किए गए श्रमिकों का विदेश मंत्रालय के साथ कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होगा और इस प्रकार मंत्रालय से उनकी सेवाओं के नियमितीकरण या उनके वेतन में वृद्धि का कोई दावा नहीं करेंगे।
10. हम साइट पर केवल प्रशिक्षित और पुलिस सत्यापित कर्मियों को ही तैनात करेंगे।
11. हमारे पास संबंधित कार्य के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति है।
12. हम मंत्रालय की संतुष्टि के अनुसार ही उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करेंगे।
13. मैं/हम इस बोली दस्तावेज के सभी नियमों और शर्तों को भी स्वीकार करते हैं और उनका पालन करने का वचन देते हैं, जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि विदेश मंत्रालय उच्चतम रैंक वाली बोली/निम्नतम बोली या विदेश मंत्रालय को प्राप्त होने वाली किसी अन्य बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर मुहर सहित)

नोटरी की मुहर

Q/EF-Canteen/551/06/2022
Government of India
Ministry of External Affairs
(Establishment Division)
EF-Canteen Section

BID No. GEM/2022/B/2389408 **Dated: 29th July, 2022**

Section - 14

QCBS Document elaborating detailed QCBS Criteria pertaining to Services/ Project Procurement if any as per applicable norms

(Not Applicable)

क्यू/ईएफ – कैंटीन /551/06/2022
भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
(स्थापना प्रभाग)
ईएफ - कैंटीन अनुभाग

बोली संख्या: जीईएम/2022/बी/2389408 **दिनांक: 29 जुलाई, 2022**

भाग – 14

सेवाओं/परियोजना खरीद से संबंधित
क्यूसीबीएस मानदंड को विस्तृत रूप
में प्रदर्शित करते हुए
क्यूसीबीएस दस्तावेज
लागू मानदंडों के अनुसार यदि कोई हो

(लागू नहीं)

Q/EF-Canteen/551/06/2022
Government of India
Ministry of External Affairs
(Establishment Division)
EF-Canteen Section

BID No. GEM/2022/B/2389408 **Dated: 29th July, 2022**

Section - 15

Financial Breakup of the Lump Sum Offering to be provided by the Service Provider

To be provided as per Section – 9 of this tender document.

क्यू/ईएफ – कैंटीन /551/06/2022
भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
(स्थापना प्रभाग)
ईएफ - कैंटीन अनुभाग

बोली संख्या: जीईएम/2022/बी/2389408 **दिनांक: 29 जुलाई, 2022**

भाग - 15

सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई एकमुश्त व्यवस्था का वित्तीय विवरण

इस निविदा दस्तावेज के भाग-9 के अनुसार प्रदान किया जाए